राजस्थान विधान सभा

५३ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–१२ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८–०५ बजे प्रातः प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १३८२

(श्री भोपालसिंह के, निर्माण मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने पर)

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, we must make protest at this carelessness of the Ministers. It has now, Sir, gone beyond a limit and I request to my hon'ble friend, the Chief Minister, to kindly impress on the Ministers that they not only owe a duty to the House, but they, in this way show dis-courtesy to the House. He is an old parliamentarian and I think he understands the feelings of the opposition.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)-मैं तो खुद भी टेढ़ा होकर आया हूं। जिधर मैं गया उधर ही लेवल क्रोसिंग पर ट्रेन खड़ी हुई मिली।

प्रश्न संख्या १३८३

(इसी प्रकार श्री चांदमल मेहता के राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में उत्तर नहीं मिलने पर)

श्री अध्यक्ष—Should we proceed or wait for him.

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है निर्माण मंत्री तो वहां खड़े हैं।

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मन्त्री) Everybody is waiting at the train crossing.

प्रश्न संख्या १३८४

राज्याधिकारियों के फिक्सेशन के निर्णय

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में ऐसे कितने अफसर हैं जिनके फिक्सेशन के मसले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ?

(२) किस किस अफसर का मामला कितने कितने सालों से पेन्डिंग है ?

(३) क्या सरकार इनका फैसला शीघ्र करने का विचार रखती है ?

(४) यदि हां, तो कब तक ?

श्री जयनारायण व्यास—(१) चार।

(२) एकीकरण के समय से। (३) हां।

(४) शीघ्रातिशीघ्र ।

श्री चांदमल मेहता—ये चार कौन कौन हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—इनके नाम ये हैं–श्री सरदारसिंह, श्री के. एल. शर्मा, श्री ओंकारसिंह और श्री एस. एन. मिश्रा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज विभाग का भी कोई अफसर है जिनके फिक्सेशन का मसला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में है कि ऐसी सूचना पहले यहां दी जा चुकी है ?

श्री अध्यक्ष—किसके बारे में वह सूचना है, नाम बता दीजिये ।

श्री चांदमल मेहता – श्री गोपालमल मेहता के बारे में ।

श्री जयनारायण व्यास—क्योंकि मेहताजी के बारे में मेहताजी ने जिक्र किया है लेकिन उनका नाम मेरे सामने नहीं है ।

Page No.3

प्रश्न संख्या १३८५

श्री अध्यक्ष— श्री घासीराम के ।

(श्री राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १३८६

राज्य कर्मचारियों के विचाराधीन पेन्शन के मामले

श्री चांदमल मेहता—क्या अर्थ मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन व्यक्तियों के पेन्शन की स्वीकृति के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ख) उक्त मामलों में राजस्थान के निर्माण के पहिले के कितने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किशनगढ़ सब डिविजन में निम्नलिखित ७ पेन्शनर्स के मामले विचाराधीन हैं :

१. श्री चन्द्रनाथ खोजा—भूतपूर्व क्लर्क स्टेट लाइब्रेरी

२. श्री चतुर्भुज पोरवाल—भूतपूर्व हैडक्लर्क पी० डब्ल्यू० डी०, किशनगढ़ ।

३. श्री रामचन्द्र बारी } चौकीदार हाउस होल्ड, किशनगढ़ ।
४. श्री नाथूसिंह }

५. मुसम्मात नाराणी }
६. श्रीमती जमना } नौकरानियें, हाउस होल्ड, किशनगढ़
७. श्रीमती कमल बदन }

(ख) ये सब मामले राजस्थान निर्माण के पहले के हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन ७ नामों के अलावा और एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है जिनका मसला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे यह सही नहीं मालूम होता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या अब्दुलगनी माजिमी का मसला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इन नामों के अलावा मुझे दूसरा नाम मालूम नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—सरकार इनका फैसला कब तक करने का विचार रखती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बहुत जल्दी ही।

श्री चांदमल मेहता—अब तक इसकी पूर्ति नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उनके सर्विस रेकर्ड वगैरह साफ नहीं हो पाये हैं।

श्री चांदमल मेहता—कितना समय चाहिये इस रेकर्ड को साफ करने में ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह तो उनके रेकर्ड्स के ऊपर है। अगर उनका रेकर्ड और जल्दी से अवेलेबल हो जाय तथा पिछला रेकर्ड साफ हो तो कम समय लग सकता है वरना कई जगह ढूंढना पड़ता है और देर लग सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या वह रेकर्ड सरकार के पास अभी तक नहीं आया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा ही लगता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय इसकी फिर से जांच करेंगे कि सरकार के पास वह रेकर्ड नहीं आने से यह देर हो रही है या अधिकारियों की गलती से यह देर हो रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, अधिकारियों की गलती नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पेन्शन क्या उनके मरने के बाद मिलेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह तो समझने वाले की इन्टेलीजेन्स के ऊपर है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सरकार की भी नीति होनी चाहिये इस बारे में। पेन्शनें तो जिन्दा लोगों को मिला करती हैं पर राजस्थान में मरने पर मिलती है।

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, जिन्दा लोगों को भी मिल रही है।

प्रश्न संख्या १३८७

राजस्थान में औद्योगिक कारखानों को कुछ कार्यों की मोनोपोली

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.5

[श्री चांदमल मेहता]

(१) राजस्थान में किस किस औद्योगिक कारखानों को किस किस काम की मोनोपोली प्राप्त है ?

(२) राजस्थान बनने के बाद भी क्या कोई मोनोपोलीज़ दी गई हैं ?

(३) यदि हां, तो किस किस को और किस किस काम की ?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मंत्री)—(१) राजस्थान में किसी भी औद्योगिक कारखाने को किसी भी काम की मोनोपोली प्राप्त नहीं है।

(२) किसी को किसी तरह की कोई मोनोपोली नहीं दी गई है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान के निर्माण के पूर्व राजस्थान के भूतपूर्व राजाओं ने कई कारखानों को मोनोपोलीज़ दे रखी थीं ?

श्री जयनारायण व्यास—जी, सही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या वे अब समाप्त कर दी गई हैं ?

जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है, इसके लिये अलग प्रश्न किया जाय तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस किस कारखाने को औद्योगिक मोनोपोली प्राप्त है; तो इस रूप में इस प्रश्न में यह सप्लीमेंटरी आ जाता है।

श्री जयनारायण व्यास—कारखानों को कोई मोनोपोली प्राप्त नहीं है। मोनोपोली तो नया संविधान बना था उसी समय खत्म हो गई थी। परन्तु कई ऐसे स्थान हैं जहां एक एक ही कारखाना है; जैसे किशनगढ़ की टैक्सटाइल मिल को लीजिये। किशनगढ़ में एक ही कारखाना है, उसे मोनोपोली नहीं समझना चाहिये। अगर कोई दूसरा कारखाना खोलने के लिये आवेदनपत्र दे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.6

प्रश्न संख्या १३८८

तारानगर के हरिजनों को कुई बनाने के लिये शासकीय सहायता

श्री प्रभुदयाल—क्या अकाल सहायता मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तारानगर के हरिजनों को कुई बनाने के लिये ५००) रुपये दिये गये थे और ५००) रु० उनके लगे ?

(ख) क्या यह सही है कि उन्होंने जहां मीठी कुइयां निकलती हैं वहा कूई खोदने की मांग की थी लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई; जो सरकारी जमीन थी ?

(ग) क्या यह सही है कि जो जमीन उन्हें पसन्द नहीं थी वह बतलाई गई, जहां पानी इतना खारा है कि इन्सान फौरन मर जावे ?

(घ) क्या यह सही है कि उनको सरकारी पक्के जोहडों में भी पानी भरने नही दिया जाता है ?

(ङ) क्या सरकार इसकी जांज करने को तैयार है और जिम्मेवार अफसरों से जवाब तलब करेगी ?

(च) क्या यह हरिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है ?

(छ) क्या सरकार हरिजनों को और सहायता देने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) रुपया ५००) कुई बनाने के लिये तारानगर के हरिजनों को दिये गये और यह रकम खर्च की गई जिसके खर्चे का हिसाब भी पेश किया जा चुका है।

(ख) तारानगर के हरिजन पहले एक जमीन पर कुई बनाना चाहते थे, इस पर आपति की जिससे दूसरी जमीन पर कुई बनवाई गई और मालियों ने बिना इजाजत जमीन पर कब्जा किया; जिसके लिये तहसील में कार्यवाही जारी है।

(ग) हरिजनों ने अपनी रजामन्दी से वहां कुई बनवाई है। पानी खारा नहीं है।

(घ) सरकारी जोहड़ से पानी भरने से हरिजनों को कोई रोक नहीं है। पहले इसके लिये तनाजा था जो तय किया जा चुका है।

Page No.7

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ड और च) कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(छ) सरकार हरिजनों को हर वक्त मुनासिब सहायता देने को तैयार है ।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या पानी खारा नहीं है, इसकी जांच की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी जो जवाब दिया गया है वह जांच के बाद दिया गया है, फिर भी कोई खास बात इस बारे में ध्यान में लाई गई तो जांच की जायगी ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या इतना विषैला पानी है उस कुई का कि पानी पीने की वजह से आदमी एक दम मर जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास तो यह सूचना है कि पानी खारा नहीं है फिर 'इतने विषैले' का तो सवाल ही नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १३८६

किशनगढ़ सब डिविजन में पेंशनर्स को मंहगाई भत्ता

श्री चांदमल मेहता—क्या अर्थ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में पेन्शनर्स की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह सही है कि पेन्शनर्स को मंहगाई भी दी जाती है ?

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को किस किस रेट्स से ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) किशनगढ़ सब डिविजन में कुल पेन्शनर्स की संख्या २३१ है ।

(ख) हां । कुल २३१ में से ११० पेन्शनर्स को मंहगाई मिल रही है। मंहगाई अर्थ विभाग हुक्म नं० एफ ७ (२) आर । ५१ ता० १५-१-५१ जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, में दी गई शरहों के अनुसार दी जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—जो अवशेष रहते हैं, कुल संख्या में से उनको निकालने के बाद, जिन्हें कि मंहगाई नहीं मिलती, इसका क्या कारण है ?

Page No.8

श्री टीकाराम पालीवाल—मंहगाई उन्हीं को दी जाती है जिनको पेन्शन सर्विस के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी किस्म की पेन्शन्स होती हैं मसलन हाउस होल्ड की, मेन्टेनेन्स आद आदि की उनको मंहगाई नहीं दी जाती।

श्री चांदमल मेहता—यह मंहगाई कब शुरू हुई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने अभी कहा कि सन् १९५१ से।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन लोगों को मंहगाई नहीं दी जाती जिनको कि एक रुपया या डेढ रुपया पेन्शन दी जाती है ? जिनको कम पेन्शन मिलती है उनको तो मंहगाई नहीं दी जाती और जिनको ज्यादा पेन्शन मिलती है उनको मंहगाई दी जाती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पेन्शन की रकम के ऊपर मंहगाई निर्भर नहीं है। इन व्यू ओफ सर्विस (in view of service) जिनको पेन्शन दी जाती है उनको मंहगाई दी जाती है, दूसरों को नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को पेन्शन दी जा रही है उनको मंहगाई मिल रही है और उसी क्लास के दूसरे व्यक्तियों को मंहगाई पेन्शन नहीं दी जाती ? क्या सरकार इसकी जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी बात नहीं है कि एक क्लास को मिलती हो और दूसरी क्लास को नहीं मिलती हो।

प्रश्न संख्या १३६०

राजस्थान के कपड़े की मिलों द्वारा, अच्छा कपास खरीदने के पश्चात्, उसको वेस्ट में शुमार कर निर्यात के परमिट प्राप्त करना

श्री रामदयाल—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या राजस्थान की कपड़े की मिल्स अच्छा कपास खरीदने के पश्चात् उसको वेस्ट में शुमार करवा कर निर्यात के परमिट प्राप्त करती है ?

(ब) गत तीन वर्षों में किस किस कपड़े की मिल्स द्वारा कितनी रूई वेस्ट के नाम पर निर्यात की गई ?

(स) क्या वेस्ट रूई पर कस्टम शेड्यूल में छुट की रियायत है ?

Page No.9

श्री जयनारायण व्यास—(अ) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ब) राजस्थान कस्टम्स टेरिफ में वेस्ट कॉटन या रूई के नाम से कोई अलग आइटम नहीं है। और कस्टम्स की दृष्टि से वेस्ट रूई को आइटम नं० ६६ रूई के अन्तर्गत निश्चित किया जा कर निर्यात ड्यूटी ४ रु० प्रति मन की रेट से वसूल की जाती है। चूंकि कस्टम्स टेरिफ में वेस्ट रूई का कोई अलग आइटम नहीं है अतः गत तीन वर्षों में कितना कपड़ा वेस्ट रूई के नाम से मिलों द्वारा निर्यात किया गया, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(स) नहीं।

प्रश्न संख्या १३९१

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३६२

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३९३

उज्जैन से ब्याना (भरतपुर) सड़क के लिए सेवला पहाड़ से ली गई गिट्टी का प्रयोग

श्री तेजपाल बाफना—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उज्जैन से ब्याना (भरतपुर) रोड के लिए जो गिट्टी सेवला पहाड़ से ली गई है उसके लिए सम्बन्धित इन्जीनियर का उसी रोड के टेन्डर पर यह नोट है कि सेवला पहाड़ की गिट्टी न ली जायगी क्योंकि इस पहाड़ का पत्थर गिट्टी के काबिल नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो फिर क्या सबब है कि गिट्टी उसी पहाड़ से ली गई और इस प्रकार जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) इस प्रकार का कोई नोट उज्जैन ब्याना सड़क के कार्य के टेन्डर के ऊपर नहीं है।

(ख) उज्जैन, सेवला, ब्याना सड़क के वास्ते गिट्टी सेवला पहाड़ से नहीं ली गई है।

श्री तेजपाल बाफना—क्या माननीय मंत्री पूरी जानकारी रखते हुए कह रहे हैं कि सेवला पहाड़ से गिट्टी नहीं ली गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जानकारी प्राप्त करके ही मैं कह रहा हूँ।

श्री तेजपाल बाफना—मैं आपको जानकारी दिलाता हूँ कि सेवला पहाड़ से इस सड़क के लिये गिट्टी ली गई है; इसके अलावा बाकी गिट्टी पड़ी हुई है।

श्री टीकाराम पालीवाल—इस जानकारी के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं इसको जांच कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३९४

भरतपुर सिटी सड़क के टेण्डर तथा ठेके के प्रतिकूल ठेकेदार की कार्यवाही

श्री तेजपाल—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या भरतपुर सिटी रोड का टेन्डर जिस समय लिया गया था उस समय पटरी और नाली ईंटों की एस्टीमेट के अन्दर रखी गई थी ?

(ख) क्या किसी खास ठेकेदार को ठेका मिलने पर एस्टीमेट रिवाइज़ किया गया और बजाय ईंटों के पत्थर का लगवाया गया और मनमाने रेट ठेकेदार को दिये गये ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बतावेगी कि एस्टीमेट रिवाइज़ करने के पश्चात् टेन्डर क्यों नहीं लिये गये ?

(घ) क्या इसी काम के अन्दर जो चिप्स सप्लाई की गई उनकी रेट १२५) रूपया दी गई है जब कि आगरा रोड पर सप्लाई की गई चिप्स की रेट टेन्डर लेने पर ६०) रू० आई है ?

(ङ) जब भरतपुर शहर से १० मील की दूरी पर ६० रूपये पर सप्लाई हो सकती है तब क्या कारण है कि भरतपुर शहर के अन्दर उसी चिप्स के १२५) रू० दिये गये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) पटरी और नाली ईंटों की रखी गई थी।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) नाली ईंटों की ही बनाई जा रही है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आवागमन की अधिकता को ध्यान में रखते हुए पटरी पत्थर की बनाई गई है। ठेकेदार को मनमाने रेट्स नहीं दिये गये बल्कि पत्थर डिपार्टमेंट से दिया जा कर केवल लगाने की रेट स्वीकृत शिड्यूल के अनुसार इकरारनामे के अन्तर्गत दी गई है।

(ग) शरायतनामे के अनुसार पुनः टेन्डर लेना आवश्यक नहीं था।

(घ) यह सत्य है।

(न) प्रत्येक कार्य पर रेट्स टेन्डर्स पर निर्भर हैं। यदि टेन्डर देने वाले ठेकेदारों में प्रतियोगिता किसी खास कार्य पर कम या अधिक रेट्स दे दी तो अन्य कार्यों पर किसी को उन्हीं रेट्स पर कार्य करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री तेजपाल बाफना—इसके लिए तो रेट १२५रु. रही और आगरा रोड पर उसी काम के लिये वह ६०) रू० रही इसका क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने बताया कि कम्पीटीशन के कारण कभी कभी रेट्स नीचे चले जाते हैं और दूसरे समय कम्पीटीशन नहीं होने के कारण ऐसा नहीं होता।

श्री तेजपाल बाफना—यदि इसमें कोई खास कारण हो तो मंत्री महोदय बतायें ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कोई खास कारण नहीं है। टैन्डर्स एक समय कम्पीटीशन के कारण नीचे चले गये और दूसरी दफा नीचे नहीं गये। भरतपुर का टेन्डर १२५) रु० पर आया है, और लोएस्ट टेन्डर १२५) रु० का होने से यह दिया गया। दूसरी मर्तबा कम्पीटीशन हुआ।

श्री तेजपाल बापना—रेट्स जो दी गई थीं वे उसी काम पर दी गई थीं या दूसरे काम पर दी गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जिस काम के लिये टेन्डर्स कॉल किये गये थे उसी काम की रेट्स दी गई थीं।

श्री तेजपाल बापना—मैंने कहा ६०) रुपये की रेट आगरा सड़क पर दी गई है और भरतपुर पर १२५) रु० दी गई, क्या इसके कोई टेन्डर कॉल नहीं किये गये थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी बात नहीं, भरतपुर की सड़क के टैन्डर पहले कॉल किये गये और आगरा सड़क के बाद में।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आगरा रोड का टैन्डर दिया गया तो उसमें ठेकेदार कितने थे और कौन कौन थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह संख्या मेरे पास नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—टैन्डर देने का क्या कायदा है; जो लोएस्ट हो उसी को दिया जाता है, या किसी और को ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नियम लोएस्ट टेन्डर वाले को देने का है और लोएस्ट जिसका हो उसी को दिया जाता है, जब तक कि लोएस्ट टैन्डर को रिजेक्ट करने के कारण न हों।

प्रश्न संख्या १३६५

मेडता तहसील के कुछ ग्रामों में बावरियों द्वारा अधिक चोरियें

(श्री भोपालसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह ने प्रश्न पूछा)

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या अब राजस्थान में छोटी मोटी चोरियों का नम्बर बढ़ गया है ?

(ब) यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(स) क्या रियां बडी, जारेवास, पादु, सेंसडा, तहसील मेडता में बावरियान की तरफ से चोरियों की हद हो गई है ?

(द) क्या इन गांवों की जनता ने बावरियान की तरफ से छोटी मोटी चोरियों से तंग आकर अपने खर्चे पर चौकीदार रखे हैं ?

(इ) क्या चौकीदार पागी रखने पर भी बावरी लोगों ने ऐसी चोरियां करना शुरू कर दिया है जिनके लिए पुलिस वाले "शनाख्त नहीं हो सकता" कह कर या "छोटी चोरी है" कह कर मौके की तहकीकात करना टाल देते है।

(य) इसके लिये सरकार क्या इन्तजाम करने जा रही है ? क्या सरकार माकूल बन्दोबस्त शीघ्र ही करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठाता।

[श्री जयनारायण व्यास]

(स) जी नहीं।

(द) जी नहीं।

(इ) ऐसा नहीं होता।

(य) पुलिस ऐसे प्रत्येक जुर्म की रोक जांच तथा मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिये सदा सतर्क रहती है तथा रिपोर्ट पर फौरन उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री जवान सिंह—क्या इस उत्तर का आधार मुकदमे के रजिस्ट्रेशन पर है ?

श्री जयनारायण व्यास—मुकदमात की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर दे रहा हूँ।

श्री जवानसिंह—इसके अलावा क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांवों में जो चौकीदार रखे गये हैं उनकी संख्या काफी है ?

श्री जयनारायण व्यास—चौकीदारी सिस्टम में अब परिवर्तन हो रहा है। कुछ गांवों में यह रिवाज था कि गांव वाले चौकीदार खुद रखते थे। अब क्रीमिनल ट्राइब्स भी हट गये हैं और वे जो पहले चौकीदारी करते थे नहीं करते हैं। इसलिए अभी कुछ चौकीदारों में झमेला पड़ रहा है। सरकार और गांव वाले रखते थे। लेकिन यह सही है कि चौकीदारों की संख्या बढ़ ही रही है।

कुं. श्री जसवन्तसिंह—क्या यह जवाब जो दिया जा रहा है वह थ्योरी पर है या कागजों पर ही है, या प्रेक्टीकल रूप में भी काम किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—थोड़ी सी प्रेक्टीकल बात मैं आपको बता दूं कि जुलाई १९५४ तक ७७ चौरियें हुई जबकि गये साल १९५३ में ६३ और उससे पहले ८० चौरियें हुई थी। यह थ्योरी नहीं है प्रेक्टीकल है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३६६

ठिकाना सलेमाबाद (त० रूपनगर) कोर्ट ऑफ वार्ड्स के आधीन

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ठिकाना सलेमाबाद (तहसील रूपनगर) अन्डर कोर्ट ऑफ वार्ड्स है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) यदि हां, तो कब से और क्यों अन्डर कोर्ट ऑफ वार्डस है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(१) ग्राम सलेमाबाद तहसील रूपनगढ़ में दो ठिकाने हैं और दोनों कोर्ट ऑफ वार्डस के इन्तजाम में हैं।

(२) श्री फतेसिंह का हिस्सा ता० १४.१०. ४३ को ठिकाने दार के लॉऔलाद फौत हो जाने पर लिया गया। श्री मदनसिंह का हिस्सा सं० १९९८ में ठिकानेदार के लाऔलाद फौत हो जाने पर लिया गया था।

प्रश्न संख्या १३९७

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३९८ तथा १३९९

श्री मनफूलसिंह, प्रश्न कर्ता अनुपस्थित

प्रश्न संख्या १४००

काश्तकार द्वारा दर्ज काश्त के रकबे में कुआ अथवा अन्य सिंचाई का साधन जुटाना

श्री तेजपाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क)क्या कोई काश्तकार जिसकी काश्त किसी रकबे में दर्ज है वह उस रकबे में कुआ अथवा अन्य कोई सिंचाई का साधन जुटा सकता है ?

(ख) यदि हां, तो फिर काश्तकारों को इस कार्य से क्यों रोका जाता है ? क्या इस प्रकार रोकने वालों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) यह काश्तकारी की किस्म पर निर्भर है। इसके लिये अभी अलग अलग युनिटों के लिये अलग अलग नियम प्रचलित हैं। जैसे जोधपुर डिविजन में बापीदार व जयपुर डिविजन में पट्टेदार और खातेदार अपने रकबों में अपनी इच्छानुसार सिंचाई का साधन जुटा सकता है। अन्य किस्म के काश्तकारों को इसके लिए इजाजत लेनी पड़ती हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

(ख) जिनको इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है उनके बिला मन्जूरी कुआ आदि बनवाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री तेजपाल बापना—क्या सरकार को यह मालूम है कि (अश्रव्य) वाले कितने ही आदमियों ने सिंचाई के साधन जुटाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये मगर उनको लिख दिया गया कि तुम नहीं जुटा सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे (क) के के उत्तर में आ जाता है।

श्री तेजपाल बापना—सरकार को ऐसी हिदायत तहसीलों को जारी कर देनी चाहिये कि जिसकी काश्त १५ साल की है उसको सिंचाई के साधन जुटाने की आज्ञा दे दी जानी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। आम तौर से इसके लिये नियम बने हुए हैं और जिनको नियम के अनुसार अधिकार प्राप्त नहीं है उनको बिला मंजूरी कुआ आदि बनाने पर रोक है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४०१

तहसील गंगधार (जिला झालावाड़) में गांव से सड़क को जोड़ने के लिये पुलिया बनाना

श्री भगवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील गंगधार जिला झालावाड़ में गांव से सड़क को जोड़ने वाली एक जरूरी पुलिया बनाना स्वीकार कर लिया गया था ? यदि हां तो अभी तक क्यों नहीं काम शुरू किया गया ?

(ख) क्या यह काम शीघ्र ही कराये जाने बाबत सरकार आवश्यक आदेश देगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) तहसील गंगधार, जिला झालावाड में पुलिस स्टेशन के पास की पुलिया बनाने के लिए एस्टीमेट बन गया है और आशा है कि इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जायगा।

(ख) हां।

प्रश्न संख्या १४०२

श्री अध्यक्ष—श्री विश्म्भरनाथ जोशी।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १४०३

श्री भैरूं सिंह (डिविजन नम्बर १६)

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

श्री भगवानसिंह तरंगी।

प्रश्न संख्या १४०४

पचपहाड़ चौमहला तक की ५२ मील की सड़क का कार्य पंचवर्षीय योजना में, होने के कारण प्रारंभ करने सम्बन्धी

श्री भगवान सिंह तरंगी—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे।

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पचपहाड चौमहला तक की ५२ मील की सडक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली जाने के वावजूद अभी तक वहां का काम आरम्भ ही नही किया गया हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि जो ६ मील की सडकें पहले से बनी हुई हैं उन पर इतना कच्चा काम हुआ है कि एक वर्ष में ही वह जगह जगह से टूटने फूटने लगी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) पंचवर्षीय सड़क योजनानुसार गंगधार, चौपमहला, सितामऊ सड़क का कार्य इस साल सन् १९५४-५५ के प्रारंभ में आरम्भ किया जाने को है इस कार्य को करने के लिये दो बार टेन्डर मांगे जाने पर भी कोई टेन्डर नहीं आये। इस कार्य को आरंभ करने की कोशिश की जा रह है और आशा है कि वर्षाकाल के बाद में प्रारंभ कर दिया जायगा।

(ख) इस काम के खराब होने की रिपोर्ट कहीं से भी नहीं आई है। वर्षा एवं अधिक यातायात के कारण जहां भी मरम्मत की जरूरत होती है, मरम्मत हर साल कराई जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४०५

(श्री भोपालसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह ने प्रश्न पूछा)

तहसील मेडता में जाटों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार

श्री भोपालसिंह—क्या बेकवर्ड क्लासेज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(ए) क्या तहसील मेड़ता मे हरिजन रेगर, भोंभियों के साथ गांवों के जाटों द्वारा अत्याचार, यानि मार पीट, पीने का पानी बन्द करना, मवेशी जंगल में नहीं चरने देना, उनको मोहल्ले से बाहर नहीं निकलने देना, मजदूरी पर नहीं ले जाना, आपस में बोलने का व्यवहार तक नहीं रखना, कहीं २ घर तक फोड़ देना, किया जा रहा है ?

(बी) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको कब तक शान्त कर दिया जावेगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये अगली टर्न पर इसका उत्तर दे दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या १४०६

श्री अध्यक्ष—श्री बी. एन. जोशी।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १४०७

श्री कस्तूरचन्द।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४०८

तहसील डग (जि० झालावाड़) की जिनिंग फैक्ट्री बन्द होने सम्बन्धी

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील डग, जिला झालावाड़ की जिनिंग फैक्ट्री कब से बन्द पड़ी है ?

[श्री भगवानसिंह तरंगी]

(ख) उसके बन्द पड़े रहने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस प्रकार वर्षों एक फैक्ट्री बन्द पड़ी रहने से स्थानीय मजदूरों को कितनी दिक्कत होती है ?

(घ) क्या सरकार उक्त फैक्ट्री शीघ्र ही चालू कराए जाने पर ध्यान देगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) रामपत जिनिंग फैक्ट्री, डग सन् १९५१ से बन्द पड़ी हुई है।

(ख) कपास की इतनी पैदावार नहीं है इसी कारण से यह बन्द है।

(ग) राजस्थान सरकार यह पूर्ण रूप से अनुभव करती है कि फैक्ट्रियों के बन्द रहने से मजदूरों को काफी दिक्कत रहती है।

(घ) राजस्थान सरकार ने बन्द फैक्ट्रियों को पुन: चालू करने व उनकी कठिनाइयों को विचारने हेतु एक कमेटी बनाई है जो अन्य बन्द फैक्ट्रियों के साथ साथ इसको चालू करने की कोशिश करेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं ? क्या सरकार कृपया बताएगी ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके अध्यक्ष तो डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ एण्ड कॉमर्स हैं। इसके अलावा एक कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर सदस्य होते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कमेटियें काम करती हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर होते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह माना जावे कि सरकारी अधिकारी ही इसमें अच्छा काम कर सकते हैं और जनता के नागरिक नहीं।

श्री जयनारायण व्यास—इसमें दो नोन ऑफिशियल मेम्बर्स भी हैं। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को रखना बहुत जरूरी है और इसके अलावा कस्टम के डिप्टी कमिश्नर को रखना जरूरी है क्योंकि फैक्ट्रीज़ के बन्द होने के कारण कस्टम में इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट पर कितनी छूट दी जाती है और कोई सरकारी अधिकारी को बढ़ा कर भार कमेटी का ज्यादा करने की बात नहीं है। जिनको जरूरी रखना चाहिये, रखा है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार प्रश्न कर्ता को एक सदस्य बनाने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३८२

मेड़ता से आलनियावास सड़क का जीर्णोद्धार तथा आलनियावास नदी पर पुल

(श्री भोपालसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह ने प्रश्न पूछा)

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(ए) मेडता से आलनियावास पुष्कर अजमेर सर्विस दिन में आठ दफा आती-जाती है और भारी यातायात होने पर भी इस सड़क की मरम्मत नहीं होती है; इसका क्या कारण है ?

(ब) क्या इस सड़क पर आलनियावास नदी को अस्थायी तौर पर पत्थर डाल कर बन्धाया गया था या मुस्तकिल ? वह सड़क कितने दिन तक काम में आई ? उसमें कितने रुपये खर्च हुए थे ? अब इस सड़क की उपयोगिता को देखते हुए इस पर पुल कब तक बना दिया जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(ए) इस सड़क पर आठ बार बस सर्विस का आना तो रिपोर्ट से जाहिर नहीं होता है, केवल २ बार आना बताया गया है। सड़क की मरम्मत प्रति वर्ष होती रहती है। इस साल भी गैंग लगी हुई है। ऐसी दशा में मरम्मत न होने के कारण को बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ब) कोई पुल नहीं बांधा गया। सन् १९५२ में केवल कुछ पत्थरों का सोलिंग लगा कर उसके ऊपर मुरड डाल कर रास्ता ठीक किया गया था। यह सड़क अब तक काम में आ रही है। इसमें करीब ३ हजार रुपये लगे थे। यह कार्य पब्लिक की सुविधार्थ किया गया था। पत्थर अब भी मौजूद हैं केवल बारिश में उस पर रेत आ जाती है। पैसे का पूर्ण सदुपयोग करने का प्रयत्न किया गया है।

पुल बनने के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत कुछ प्राथमिकता पर निर्भर है।

श्री जवान सिंह—लेकिन क्या यह सरकार को विदित है कि उस पुल का टेम्परेरी रिपेयर किया जाता है इसलिए वह दस-पन्द्रह दिन में ही खराब हो जाता है और खास तौर पर बरसात में तो चलने फिरने लायक नहीं रहता।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि पुल नहीं है।

Page No.20

श्री जवान सिंह—यह मान लिया जाय कि पुल नहीं है तो सरकार इस बात की आवश्यकता नही समझती है कि पुल बनावे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने निवेदन किया था कि यह प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १३८३

रुपनगर तहसील में भूमियों के पर्चे-वितरण पर पेड़ों की छंगाई व चराई के ठेके

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय राजस्व विभाग यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील में जिन जमीनों के परचे किसानों को मिल चुके हैं उन जमीनों के पेड़ों को छंगाई व चराई के ठेके राज्य द्वारा दिये जा रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो यह कार्यवाही किस विभाग द्वारा किन नियमों के अन्तर्गत की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—रूपनगर तहसील में जिन जमीनों के परचे किसानों को मिल चुके हैं उन पेड़ों को छंगाई व कटाई के ठेके वन विभाग द्वारा मुकर्रर किये गये थे किन्तु किसी की भी बोली नहीं लगी और आयन्दा के लिए उनको खारिज किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) यह पुराने अमल के फलस्वरुप ही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३८५

नानगराम पटवारी द्वारा संवत् २००३ में तहसील तिजारा (जिला अलवर) में भूमि प्राप्त करने संबन्धी

श्री घासीराम—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) नानगराम पटवारी, बेटा भौरेलाल ने क्या कोई जमीन सम्वत् २००३ में तहसील तिजारा जिला अलवर में प्राप्त की है ?

Page No.21

[श्री घासीराम]

(ख) जमीन जो प्राप्त की है वह कितनी है ? कागजात में किस किस्म की जमीन है और मौके पर किस किस्म की ?

(ग) क्या यह सही है कि यह जमीन फर्जी इन्द्राज करके और कागजात में मसनूई करके प्राप्त की है ?

(घ) इस पटवारी ने जमीन प्राप्त करने के लिये दरख्वात किस तारीख को दी और देनी किस समय चाहिये थी ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस पटवारी के लड़के ने जो उस समय तिजारा का दफ्तर कानूनगो था यह सब कार्यवाही कराई ?

(च) क्या इस जमीन की प्राप्ति और पटवारी के विरुद्ध शिकायत हुई है ? शिकायत की जांच हो चुकी है या नहीं ? कितने समय से जांच चल रही है और कब तक चलेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) १८ बीघा ६ बिस्वा। कागजात में किस्म जमीन भूड अव्वल बारानी दर्ज है और मौके पर भी ऐसी ही है।

(ग) इस बारे में एस. डी. ओ. तिजारा द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) श्री नानगराम पटवारी की दरख्वास्त ता० २५. ४. ५१ को पेश हुई और १२. ६. ५१ को अलोटमेन्ट का ऑर्डर हुआ। आखरी तारीख दरख्वास्त लेने की १५. ४. ५१ थी परन्तु बाद में बिला लिहाज तारीख के दरख्वास्त लिए जाने की आज्ञा हो गई थी।

(ङ) जी नहीं।

(च) पहले इस सम्बन्ध में रिहेबिलिटेशन विभाग द्वारा जांच हो चुकी है, जो शिकायत गलत साबित होने पर अगस्त १९५२ में दाखिल दफ्तर हो चुकी है। अब पुन: एस. डी. ओ, तिजारा द्वारा जांच की जा रही है जिसकी कि रिपोर्ट शीघ्र ही पेश होने वाली है।

श्री घासीराम—तहसीलदार तिजारा की जांच हो चुकी है तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एस. डी. ओ., तिजारा के पास है, उसके बाद यहां पेश होगी।

Page No.22

श्री घासीराम—पहले तहसीलदार तिजारा जांच कर चुके हैं तो फिर दुबारा जांच क्यों कराई जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस वक्त इसकी जानकारी नहीं है। चाही गई तो बाद में दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल।

प्रश्न संख्या १३६१

फुलेरा कस्बे में मण्डी बनाने के लिए जयपुर राज्य के समय के एडवान्स का उपयोग

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) फुलेरा कस्बे में मण्डी बनाने के लिए जयपुर स्टेट के समय में सरकार ने जो एडवान्स का रुपया दुकानों के प्लॉट बेचने को लिया था, वह कितना है ?

(ख) क्या सरकार इस जमा रकम को मण्डी के निर्माण के लिए काम में लाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो इस रकम का क्या उपयोग किया जायगा ? यदि हां तो, यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा की जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(राजस्व मंत्री) (क) १३, २१४, रुपये तहसील फुलेरा में अमानत जमा हैं।

(ख) इस बारे में कमिश्नर, जयपुर से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है जिसके आने पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्न लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय तक के लिए, जो कि उनके नाम के आगे निर्दिष्ट है, अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की है:—

१. श्री हंसराज (वि० सं० ५१) ३.८.५४ से ६.८.५४ तक

२. श्री लक्ष्मण सिंह (वि० सं० ८६) ३०.७.५४ से सत्र के अन्त तक

Page No.23

[श्री अध्यक्ष]

३. श्री किस्तूरचन्द (वि.सं. ७२) २,३,१२ व १३ अगस्त, १६५४

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास के स्थगन प्रस्ताव संबन्धी

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैंने २६. ३. ५४ को एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था उसकी सूचना मुझे अब तक नहीं मिली है । उसकी कन्सेन्ट दी गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—दफ्तर से पता लगा लीजिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दफ्तर से कोई सूचना अब तक नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष—आप पूछ लीजियेगा ।

राजस्थान कृषि भूधारण विधेयक, १९५२

क्लॉज़ ४, सब क्लॉज़ २५

यस; श्री एच. के व्यास, श्री मोतीलाल चौधरी तथा श्री वेदपाल त्यागी अपने अमेन्डमेन्ट्स मूव कर दिये हैं ।

(श्री राजस्व मंत्री को संकेत करके) जवाब दीजिये आप ।

श्री हरिदत्त—माननीय अध्यक्ष........

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member wants to speak.

श्री हरिदत्त—Yes, Sir,

माननीय अध्यक्ष, इस लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली पर जो अब तक संशोधन आये हैं उनके पीछे एक ही भावना व्यक्त हुई है और वह यह है कि जागीरदार अथवा भूस्वामी की अनुपस्थिति

[श्री हरीदत्त]

में किस तरह से उनकी काश्त मानी जा सकती है। इस परिभाषा का यह तो अर्थ नहीं है कि इसका सम्बन्ध केवल जागीरदार या भूस्वामी से ही हो बल्कि इस परिभाषा में किसान भी सम्मिलित होता है और उनसे विशेष इसका सम्बन्ध है। एक दृष्टान्त, एक नजीर मि० बिड़ला की दी गई थी। इस प्रकार के व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा १० प्रतिशत हो सकते हैं किन्तु ९० प्रतिशत वे किसान हैं जो छोटे छोटे भूस्वामी हैं और जिनसे इस परिभाषा का सम्बन्ध है। यदि हम इस परिभाषा को इस भाव से देखें कि किस तरह से किसानों का इससे हित हो सकता है, या इस परिभाषा से किसानों का अहित हो सकता है तो इस परिभाषा में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनके विरुद्ध मुझे कुछ न कुछ अवश्य कहना होगा। इस परिभाषा के बनाने में दो मुख्य बातें हैं। एक तो यह है कि उसे विधेयक में कहां इस्तेमाल किया जायगा और वहां इसका क्या अर्थ होगा और दूसरा यह है कि इस परिभाषा को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है उसका वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? इन दोनों बातों को देखते हुये मैं सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इसमें पहला शब्द यह है कि, "land cultivated on one's own account—by one's own labour." That is all right. Then by the labour of any member of one's family का कहीं भी इस एक्ट के अन्दर, इस विधेयक के अन्दर नहीं बताया गया है कि इसका क्या अर्थ है? जहां एक स्त्री और पुरुष है वह भी एक फेमिली हो सकती है और अधिक से अधिक जनरल करके माना जाय तो पांच आदमियो को एक फेमिली मानी जा सकती है।

अब यदि एक फेमिली में एक स्त्री और पुरुष हैं और पुरुष मर जाता है तो स्त्री रह जाती है विधवा। उस फैमिली से क्या मतलब? कौन से मेम्बर की सहायता से वह खेती का काम करवा सकती है? उसके लिये ऐसे काम करवाना बहुत मुश्किल होगा। आम तौर पर किसानों में यह प्रणाली है कि गांव में किसी के भी काम हो सब कोऑपरेटिव बेसिस पर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यदि चमार के यहां काम होता तो ठाकुर उस काम में हाथ बटाता है और ठाकुर के यहां काम होता है तो चमार भी वहां चला जाता है उसके काम में हिस्सा बटाने के लिए। ऐसी स्थिति में 'वन्स फैमिली' यह शब्द अलग रह जायगा। ऐसी स्थिति में यहां कई पार्ट्स (parts) ऐसे हैं जिनके रख देने से कोर्ट में आने के बाद वे शख्स मजबूर हो जायेंगे जिनके द्वारा काम लिया गया है, वे फेमिली मेम्बर्स नहीं हैं। 'फेमिली' शब्द के अर्थ बहुत हैं वह बहुत वेग हो जायगा।

दूसरा "but not by way of a share in the crop" ऐसा बतलाया गया है सदन के सामने। दर असल यह डिलीट नहीं किया गया है, इसी तरह से इसमें रखा गया है। इसमें जो 'क्रोप' शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्रोप का मतलब मैं यह ख्याल करता हूँ यहां प्रोड्यूस से मतलब लिया गया है। वर्ड क्रोप तो डिफाइन कर दिया गया है किन्तु प्रोड्यूस को डिफाइन नहीं किया गया है।

(८.४४ पर श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

[श्री हरिदत्त]

अगर इस शब्द का इस्तेमाल कहीं अन्यत्र किया गया है इस एक्ट में तो वह भावना कुछ और हो जाती है। तो फिर हमें इस शब्द के निकाल देने और रख देने से क्या अर्थ निकलेंगे, दोनों को देखना होगा। इसलिये इस शब्द पर आपत्ति है।

तीसरी बात जो प्रोवीजो बना हुआ है वह इतना लम्बा है, वह इतना बड़ा है जिसका मतलब है कि जिस भावना को लेकर पर्सनल कल्टीवेशन रखा गया है उसको लाने के वास्ते ये शब्द रखे गये हैं। अगर इसको प्रैक्टिकल फोर्म के रूप में देखा जाय तो यह प्रोवीजो आवश्यक नहीं, जितना कि रखा गया है। मैं आगे चल कर निवेदन करूंगा कि यह प्रोवीजो कई जगह इस्तेमाल हुआ है इसको और भी बढ़ाया गया है। जो बातें रह गई हैं वे आनी बहुत जरूरी हो गई हैं। जनरल आइडिया यह होना चाहिये कि that the land belongs to the tiller.

मैं यह अवश्य कहूँगा कि अगर कोई भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो किसान समुदाय पर बड़ी आपत्ति आजायगी इसलिये इसको सुधारने पर विचार करना आवश्यक है। इस पर यह भी कहा गया कि बिडला जैसे महान् व्यक्ति बैठे हुए हैं जो दूसरों से खेती करवाते हैं और वह जमीन उनके नाम से रह जायगी। मुझे इस पर यह आपत्ति है कि जहां जहां इसका इस्तेमाल हुआ है उसको हमें देखना है। यह क्लॉज़ १३१ जो कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित है जिसके सब क्लॉज़ (डी) में लिखा है "that the land had been personally cultivated by the landholder continuously for 5 years prior the year 1948..."

तो 'prior to the year 1948', इसके मायने यह हैं कि यह डेफीनिशन इन इन केसेज़ को गवर्न करेगी। १६४८ के पहले जिन्होंने पर्सनली कल्टीवेट किया हो, जो डेफीनिशन १६४८ में है वही डेफीनिशन यहां भी होनी चाहिये। यही भावना रखकर इसका अवलोकन करना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि यह जो डेफीनिशन पर्सनल कल्टीवेशन की रखी है वही होनी चाहिये जो सन् १६४८ में मानी जाती थी। उसके बाद बाकी जनरल क्लाजेज़ में ऐसी शक्ल आ जायगी। जिन सेक्शन्स का संबन्ध काश्तकारों से है वे क्लाजेज़ हैं ३६, और ३७ दोनों का सम्बन्ध काश्तकारों से है। जो धारा बनाई गई है, जो इस विधेयक की धारा है उसका अर्थ है लेटिंग और सब लेटिंग जो रखी जाती है उसको पर्सनल कल्टीवेशन में लेकर इस चीज़ की हिफाजत की गई है। ये दोनों धारायें ३६ व ३७ इससे सम्बन्ध रखती हैं। धारा ३७ में जो सब लेटिंग के लिए सूरतें मुकर्रर की हैं उन्हीं सूरतों को डिफाइन किया गया है। इस तरह से लेटिंग उस सूरत में हो सकता है जैसा कि धारा ६ में जाहिर किया गया है। धारा ६ के शब्दों में सिलेक्ट कमेटी ने खुदकाश्त शब्द रखा है जिसका हवाला ३६ और ३७ में दिया गया है। विशेष करके ३६ और ३७ की धारायें विचारणीय हैं। इसमें अभिलाषा जो जाहिर की गई है, इसमें जो माइनर शब्द का अर्थ किया गया है, माइनर में स्टूडेन्ट

[श्री हरिदत्त]

नहीं आते हैं। मेरी समझ में 'माइनर' शब्द अनावश्यक रखा गया है। मिलिटरी, नेवी और एयर सरविस जो रखी गई है उसके मायने यह रखे गये कि राजस्थान पुलिस में यदि कोई आदमी है, सिविल डिपार्टमेंट में कोई किसान मुलाजिम है, उसको कोई अधिकार नहीं कि वह अपनी जमीन की किसी दूसरे के जरिये काश्त करा सके। इसका दूसरा अर्थ यह होगा, जहां यह कहा जाता है कि मेरी अपनी भावना किसान सभा से संबन्धित होने के नाते उसी के अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ के जरिये किसानों को सरकारी मुलाजमत से कतई वन्चित कर दिया गया है। कभी किसी भी सरकार में मुलाजिम वह नहीं हो सकता। अगर मुलाजमत में आता है तो वह पर्सनल सुपरवीजन नहीं कर सकता। बिडला आदि के उदाहरण हो सकते हैं, किन्तु मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे सकता हूं जिसकी सारी की सारी फेमीली एग्रीकलचरिस्ट है, वह हैं मास्टर आदित्येन्द्रजी। इनके पास जमीन है और स्वयं किसी संस्था में कार्य करते है, क्या इनसे यह आशा की जा सकती है कि ये अपनी जमीन को खुद देखें? क्या इनसे पर्सनली कल्टीवेट हो सकती है? इसी तरह से अगर कोई किसान राज कर्मचारी बन जाता है उससे आप पर्सनली कल्टीवेशन की आशा करें तो यह नामुमकिन है, इन सब का सीधा अर्थ यह निकलता है कि किसान को एक तरकीब से सरकारी मुलाजमत से वन्चित किया जाय। नहीं तो क्या कारण है कि इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की सरविस जैसे नेवी, मिलीटरी और एयरफोर्स इनसे तो इसका सम्बन्ध रखा किन्तु स्टेट की किसी सर्विस से उसका सम्बन्ध नहीं रक्खा। इसलिये यह जो लिमिटेशन्स लगाई हैं ये बहुत कटु हैं। इनको भी यहां से हटाना होगा अगर हमको रेगुलराइज करना है तो।

आगे जाकर 'एजूकेशनल इन्सटीट्यूशन्स' के जो शब्द हैं यह भी एक बुरा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है किसान के लड़के पर। अगर वह राजस्थान स्टेट में किसी ऐसी इन्स्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जो सरकार से रिकग्नाइज्ड नहीं किया हुआ है तो उसकी अनुपस्थिति मानी जावेगी और मान लीजिये अपनी ऊंची स्टडी के लिए वह इंगलैंड, जर्मनी व मद्रास या बम्बई कहीं गया है तो वह रिकग्नाइज्ड नहीं माना जावेगा।

तो इसलिए बजाय स्टेट रिकग्नाइज़्ड की इन्स्टीट्यूशन के 'recognized by any State or by any Government ये शब्द बढ़ा देने चाहिये। लफ्ज़ रिकग्नाइज्ड नहीं इस्तेमाल किया जाय। इसके बजाय रजिस्टर्ड इन्स्टीट्यूशन्स आ जाना चाहिये बजाय इसके कि रिकग्नाइज़्ड बाई स्टेट हो। इसमें एक बात और बढ़ा दी जानी चाहिये कि रिकग्नाइज़्ड बाई एनी स्टेट हो। It must be recognized by some State.

इसके बाद एक और बात विचारणीय है कि अगर मान लो कि कोई काश्तकार सजा पा जाता है या डिटेन्शन में चला जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में उसको अनुपस्थित मान लिया जावेगा और ऐसी स्थिति में उस काश्तकार को क्या उसकी जमीन से, काश्तकारी से वंचित किया

[श्री हरिदत्त]

जा सकेगा ? यह भी हमारी इस परिभाषा में बात नहीं आई है जो कि आ जानी चाहिये थी। इसका इस्तेमाल खण्ड ६ में किया गया है जो इस प्रकार है।

"or is in detention or imprisonment or when his property is under the superintendence of the Court of Wards."

तो अगर आप इन प्रोविजों को अपनावेंगे तो यह भी बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से यह प्रोविजों ऐसे शब्द रखते हुए एक जगह इन्हीं अर्थों में प्रयोग होता है और जगह खण्ड ३७ में और तरह से इस्तेमाल हो जाता है। इसमें जिक्र किया गया है कि "...a widow, a lunatic, an idiot or a person incapable of cultivating by reason of blindness or other physical infirmity or service in the military, naval or air service of India, or detention or confinement in prison or who is a student not exceeding 25 years in age, prosecuting studies in a recognised institution, or who holds a civil post under the State or Union Government."

मैंने जो अभी अर्ज किया है उस डेफीनिशन को अगर आप रखते हैं तो उसका अर्थ जगह जगह बदलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना है कि आप किसान को स्टेट सर्विस से वंचित नहीं कर सकते। इसको यहां सैक्शन ३७ में लिया है कि 'holds a civil post under the State or Union Government' तो सिविल पोस्ट शब्द का यहां इस्तेमाल किया गया है। यह लास्ट डेफीनिशन है। इसको और बढ़ाएंगे ऐसी मेरी मंशा है।

इन तीनों को एक ही जगह लावें तो किसानों के लिये राहत हो सकेगी कि Whether they are in the service of the Government of India or in the service of the Government of any State. इसमें स्टेट के साथ साथ एनी स्टेट होना चाहिये। यह नहीं कि राजस्थान स्टेट ही हो। अगर मान लीजिये किसान बम्बई गवर्नमेन्ट की सर्विस में है तो आपके इस कानून से तो उसको अधिकार नहीं रह जावेगा कि अपनी काश्त को पीछे से वह किसी से करा सके। इन सब बातों को देखते हुए 'एनी स्टेट' शब्द आने चाहिये।

अब इस डेफिनिशन में "by servants on wages payable in cash or in kind" इसमें शब्द काइन्ड का इस्तेमाल किया गया पर इसका खुलासा नहीं है। कहा जाता है कि इसको हटाया नहीं गया "......but not by way of a share in crops."

लेकिन इस शब्द 'काइन्ड' का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है और जहां किया गया है वहां क्या लिखते हैं, वह है सेक्शन १०५। इसमें लिखा है "When rent is payable in kind as

[श्री हरिदत्त]

a share of the produce it shall ordinarily be recoverable by an actual division of the produce." यहां सिलेक्ट कमेटी ने शेअर ऑफ प्रोड्यूस में कोई चेन्ज नहीं किया। यदि आप यह रखते हैं कि not by way of a share in crops' तो crop by itself has no meaning. इसको बदस्तूर रखते हैं तो सैक्शन १०५ का कोई अर्थ नहीं रहता :

क्रोप्स को यहां डिफाइन कर दिया है। इसमें श्रब्स, बुशेज, प्लान्ट्स वगैरह रहते हैं। प्रोड्यूसेज़ का शेअर होता है तो इस सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि इस डेफीनिशन को सेक्शन १०५ के शेअर ऑफ दी प्रोड्यूस में रख दिया गया है। 'but not by way of a share in crops.' को डिलीट करने की कोशिश की गई काइन्ड की डेफीनिशन करने के लिये।

हर काश्तकार जानता है कि कुछ लेबर तो मजदूरी काइन्ड में ले सकता है। उसको खेत जुतवाना है, हल जुतवाना है, लटाई करानी है आदि के लिए मजदूरों को मजदूरी कैश में दे देगा, और अगर इसमें कठिनाई होगी तो आम तौर से जैसा होता है काइन्ड में दे देगा। तो यहां तक तो मजदूरी चल जावेगी। पर ऐसी स्थिति में जब कि एक शख्स जिसको हम यह कह रहे हैं कि मेरे वास्ते, मेरी तरफ से काश्त करे, मेरे यहां काम करे और अगर वह शुरू से आखिर तक काश्त का काम करता है तो वह लेबर नहीं शुमार होगा। वह काइन्ड के लिहाज से नहीं लेगा। यदि यह व्यवस्था कर दी जावेगी और उसके अनुसार पांच सेर, दस सेर काइन्ड में लेबर का उसका अन्दाज लगाएंगे तो इसमें काश्तकार हो, लेण्ड होल्डर हो या और कोई हो वे काफी परेशान हो जावेंगे, उनको इस हिसाब से न मजदूर मिलेंगे और न वे काश्तकार रख सकेंगे। इसलिये आम तौर से पद्धति यह इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि तुम्हारा इसमें भाई १-४ या ऐसा ही कोई हिस्सा है, शुरू से आखिर तक तुम्हें इस सारी खेती को सम्भालना पड़ेगा, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, बुड्ढा हो बच्चा हो, कोई हो तुम्हें तो इसको सम्भालना है; इसलिए इसका शेअर तुम्हें लेना पड़ेगा। तो यह पद्धति सुभीते की रहेगी। एक वजह यह भी है, अगर फसल हो जावेगी तब तो गल्ला दे देगा और अगर कभी फसल ही बरबाद हो गई किसी प्रकृति के प्रकोप से, टिड्डी के कारण अथवा अनावृष्टि और अतिवृष्टि से, किसी कारण से, तो वह कहां से उसको देगा। इसलिए अपनी सहूलियत के लिये यह हिस्सा उसको देने की बात करनी पड़ेगी। अगर भूखों मरेंगे तो दोनों साथ साथ भूखों मरेंगे और अगर फसल होगी तो १-४ हिस्सा तुम ले लेना और ३-४ मुझे मिल जावेगा। और अगर नहीं तो मैं भूखा और तू भूखा। इसलिए काइन्ड रक्खा गया है और इस काइन्ड का जाकर सेक्शन १०५ में जिक्र किया है। वहां से 'नोट बाई वे ऑफ ए शेअर इन क्राप्स' यह भी डिलीट हो जाना चाहिये। ताकि उस काइन्ड का अर्थ ले लिया जावे जो सेक्शन १०५ में आया है।

इसके बाद जाकर के 'काइन्ड' इसमें बहुत सी तरह के रूप में हो सकते हैं।

हायर्ड लेबर का जिक्र आया है, "Hired labour under ones own supervision."

Page No.29

[श्री हरिदत्त]

इसमें पर्सनल सुपरविजन पर क्यों स्ट्रैस (stress) किया जाता है ? एक मामला तय हो गया। कल्टीवेटर किसी से अपने वास्ते काश्त करावेगा और वह अगर खुदकाश्त करता है तो क्या बाधा है सुपरविजन की ? खुद तो करता है अगर गांव में रहता है तो अगर कहीं किसी काम से बाहर गया है तो कहीं उसको लॉ कोर्ट में लेजाकर ऐसी टेक्नीकलिटीज़ लेकर हैरान होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वह वहां नहीं रहता है तो लाज़िमी तौर से कहीं न कहीं किसी न किसी से काम तो लेना ही पड़ेगा। इसलिये इस तमाम क्लॉज़ को जो प्रोविज़ी के साथ किया गया है सिर्फ इतना मात्र रखना चाहिये। अगर यह और ज्यादा रखना ही है तो इसे सिर्फ इजेक्टमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, डिक्लेअर ऑफ शेअर में इसे आप न रक्खें। सब टीनेन्ट हैं या टीनेन्ट हैं; क्या हैं ? ...

"By a certain schedule to be declared that he is a tenant or a sub—tenant." That is only after that—that land belongs to the tiller.

अब इसके दो ही अर्थ हैं :

"by one's own labour, or by voluntary or hired labour by others.

बड़े-छोटे दो जुम्लों में ही खतम हो जाते, वॉलन्टरी लेबर जिसके लिए अर्ज किया। उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा जैसा कि आजकल वे ले रहे हैं। तो वॉलन्टरी लेबर तो यह हो गई।

और दूसरी है 'hired labour where that hired labour is secured by himself or anybody on his behalf' तो इन दो शब्दों से हमारी यह डेफीनिशन पूरी हो जाती है और उससे मेरा यह अर्थ है कि किसानों के लिए इस मसले को लेकर आपत्तियां जितनी आवेंगीं वे किसान पर आवेंगी इसलिए हमें उसको बचाना है। उसको मुलाजिमत का भी चान्स देना है और चाहे जिससे अपना काम करावे ऐसी सहूलियत भी उसको हमें देनी है। अगर जेल भी चला जाता है या डिटेन्शन में है तो लेबर के जरिये से टीनेन्ट या सब-टीनेन्ट के जरिये से अपनी खेती कराता है तो उसको इसके लिए अपने आप राइट्स हो जाते हैं। इसलिए इस डेफीनिशन को ज्यादा लम्बा न बढ़ाया जाकर शोर्ट कर देना चाहिये और इसको फिर स्क्रुटिनाइज़ कराया जावे। यह हो सकता है कि मेरे नोटिस से बहुत सी बातें मिस हो गई हों। तब इस डेफीनेशन को लिया जावे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ में अब तक काफी बहस हो चुकी है और इसमें मैं यह तरमीम पेश करना चाहता हूँ, जो इस तरह से है कि जो प्रोवीजो इस क्लॉज़ का है वह सारा का सारा इसमें से ओमिट कर दिया जाना चाहिये और इसकी मंशा यह है कि जब आपने आगे जाकर इस एक्ट में सबलेटिंग के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं और खुदकाश्त

Page No.30

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

में टिनेन्ट के सबलेटिंग के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं वह जो रेस्ट्रिक्शन डिसएब्ल्ड परसन्स पर लागू नहीं होते हैं तो डेफिनिशन के ताबे इस प्रोवीजो को रखने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं इस सदन का ध्यान खण्ड ६ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जहां कि यह रखा गया है कि—
"No Khudkasht shall be let except as provided in sections 36 and 37."

अब सेक्शन ३६ और ३७ को आप देखेंगे तो वहां पर यह प्रोवीजो मौजूद है। क्लॉज़ ३६ कहता है 'रेस्ट्रिक्शन ओन सबलेटिंग' के बारे में।

"(1) No Khatedar tenant or his mortagagee shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding five years, or within two years of the whole, or any part of such holding being held by a sub-tenant.

(2) No ghair Khatedar tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year."

Now 37 gives Sub-letting by disabled persons.—

"(1) The restrictions on sub-letting imposed by section 36 shall not apply to a minor, a widow, a lunatic, an idiot, or a person incapable of cultivating by reason of blindness or other physical infirmity or service in the military, naval or air service of India, or detention or confinement in prison or who is a student not exceeding 25 years of age, prosecuting studies in a recognised institution, or who holds a civil post under the State or Union Government."

ये सारी की सारी बातें जो कि रेस्ट्रिक्शन्स के बारे में हैं वे सब इसमें हटा दी गई हैं। ये रेस्ट्रिक्शन्स डिसएब्ल्ड परसन्स पर लागू नहीं होंगी। यह रेस्ट्रिक्शन्स जब इसमें हटा दिये गये हैं तो डेफिनिशन में लाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मगर जो हकूक हैं वे कायम रहेंगे। वह सबलेटिंग कर सकेंगे, वह खुदकाश्त रहेगी और कोई किसी दूसरे सबटेनेन्ट का उनकी जमीन पर कोई हक या कोई टाइटल इसमें किसी तरह का एराइज़ नहीं होगा। ऐसी सूरत में, प्रोविजो यहां पर रखना फिजूल है। मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रोविजो को यहां से रिमूव कर दिया जाना चाहिए।

इसमें हमारे माननीय मित्र जो कि भरतपुर से आये हुए हैं उन्होंने अभी अभी अपनी बहस के दौरान में यह कहा कि साहब डिसएबिलिटी एराइज होती है किसी के जेलखाने में चले जाने से या कनफाइन्मेंट में रहने से, वह इसमें नहीं आई। तो जो सेक्शन ३७ है उसमें यह सारी चीजें मौजूद हैं और उसमें कन्फाइनमेंट इन प्रिज़न को इन्क्लूड किया हुआ है। तो यह उनकी दलील है, वह इससे साफ हो जाती है इसको रिमूव कर देने के बाद।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इसमें और ऐसी मेरे माननीय मित्र ने तरमीम पेश की है और एक तरमीम इसमें यह पेश की गई है कि इसमें सबक्लाज (३) में से " One's paid manager or a salaried agent " यह सभी रिमूव कर दिये जाने चाहिए। माननीय चेयरमेन, मैं इस तरमीम से इत्तिफ़ाक करता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर अगर हम यह सारे के सारे शब्द इसमें रख दें और यह एलाउ करते हैं कि किसी मैनेजर के जरिये या सेलेरीड एजेन्ट के जरिये काश्त करा ले कोई आदमी फिर भी उसको लेन्ड कल्टीवेटेड परसनली में माना जाय तो इसका कोई मायना नहीं रहेगा कि इसको डेफिनिशन में रखा ही क्यों जाय ? फिर पर्सनली कल्टीवेटेड से कोई मुराद ही नहीं रहेगी, और वास्तव में सही मायने में परसनली कल्टीवेटड लेन्ड की परिभाषा इसमें आये। कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा इसमें रखना चाहिए कि जिसके यह मायने होंगे कि वास्तव में वह व्यक्ति परसनली कल्टीवेट करता है। अगर आप इसमें रखते हैं "One's manager or a salaried agent" तो कभी ऐसा हो कि लोग कलकत्ते में अपनी गद्दियों पर बैठे रहेंगे और उनका मैनेजर या सेलेरीड एजेन्ट उनका फार्म चलाता रहेगा और परसनली कल्टीवेटेड लेन्ड की परिभाषा में कोई पूर्ति नहीं होगी और उससे फायदा अलबत्ता मिलता रहेगा। जब एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन के बारे में सवाल उठा था तब भी मैंने तो बहस में इस बात का समर्थन किया था कि जो एग्रिक्लचरिस्ट होता है वह कुछ न कुछ अपने रिश्तेदारों के जरिये ही कन्ट्रीब्यूट करता है; उस काश्त की तरफ वह मुद्दा इसमें से निकाल दिया जाता है तो यह डेफिनिशन कोई मायने नहीं रखता और इसीलिये हमारे माननीय मित्र ने जो सुझाव रखा है और यह तरमीम रखी है कि "One's paid manager or salaried agent" को निकाल दिया जाय, उससे सहमत हूं और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरमीम पर विचार करे और इसको मन्जूर फरमाये।

इसके अलावा कुछ तरमीम रखी गई है कि कुछ कन्ट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए, तो वहां पर उन लोगों को विचार करना होगा जो नौकरी करते हैं और पुराने जमाने से खेती उनके पास चली आती है। तो उसमें माननीय व्यासजी ने जो यह तरमीम रखी है उससे ज्यादा उनकी बातों पर आघात पहुँचेगा क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि पुराने जमाने से खेती चली आती है तो हो सकता है कि चार भाई हों तो उसमें से एक भाई को लगा दें उस खेती पर और दूसरे भाई जाकर दूसरी जगह काम करें और फिर किसी तरह से लोग बाग एवोइड करने की कोशिश यह करेंगे कि एक दिन चले गये खेत पर, साल भर में एक दिन चले गये और हल हाथ में ले लिया और फिर कह दिया कि हल चला लिया मैंने अपना कन्ट्रीब्यूशन कर लिया। इस बात की तरमीम रखने से कोई फायदा नहीं होता है और लोग उल्टा वेजा तरीके से इसका फायदा उठाना चाहेंगे। तो इसमें रखने से कोई फायदा नहीं। तो जहां तक इस तरमीम का तान्लुक है यह तरमीम वाजिब नहीं है।

माननीय श्री वेदपाल त्यागी ने जो तरमीम की है वह वाजिब मालूम होती है और मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैंने जो तरमीम पेश की है मैं प्रार्थना करूंगा कि हाउस उसको अवश्य स्वीकार करेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सभापति महोदय, इसमें मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । इस सदन में सरकार द्वारा मान लिया गया है कि जो हक और हकूक एक वर्ग विशेष को जो कि आज तक जागीरदार कहलाया जाता था और जिनके लिए विशेष रूप से लेन्ड रिफॉर्म्स एण्ड जागीर रिज़म्पशन एक्ट इसी सदन ने एक महिने पहले पास किया था; इसके ताबे जो जो हक और हकूक, ओब्लिगेशन्स या कमिटमेन्ट्स उन पर रखे गये हैं उनको बाकायदा सरकार मानेगी और जो टिनेन्ट्सी लॉ इस वक्त पास किया जा रहा है उससे किसी तरह से हक् हकूकों को डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली नुकसान या आघात पहुँचे तो सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि सरकार ऐसा न होने दे । यह सिद्धान्त का सारांश है । इस बात को माननीय राजस्व मंत्रीजी ने भी साफ कर दिया है और यही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि यह सरकार की नीति है कि समझौते से जो बातचीत तय हुई है उससे कतई विपरीत नहीं जावेंगे । उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि जो माननीय श्री व्यासजी अमेन्डमेन्ट्स लाते हैं उनको तो अच्छी तरह से समझा जा सकता है क्योंकि वे एक भिन्न दृष्टिकोण को रिप्रेजेन्ट करते हैं और उनका अमेन्डमेन्ट्स लाना वाजिब है जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो किसी किस्म की एस्टेट, प्रोपरटी आदि रखेंगे उनके प्रति उनका विरोध होगा, इसमें उनको दोष नहीं दे सकते; ये ही विचार मैंने कल भी रखे थे । लेकिन सरकार की नीति सदन में साफ हो चुकी है, मुझे इस बात की खुशी है । पिछली बातों को ध्यान में रखता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि यह परिभाषा जो आज टीनेन्सी लॉ में "लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली" की है और इसके साथ साथ हमारे राजस्थान में जागीर रिजम्पशन एक्ट १९५४ जो एक महीना पहले पास किया था उसमें इसकी डेफिनिशन है । जो कानून इस सदन द्वारा १ महीने पहले पास किया गया उसकी डेफिनिशन और इस बिल में जो डेफिनिशन है वह डेफिनिशन अलग अलग रहेंगी तो इस पर हँसी ही नहीं होगी बल्कि जो नीति समझौते की सरकार ने अपनाई है जागीरदारों से बातचीत करके उसके विपरीत जायगी । यदि यह परिभाषा टीनेन्सी एक्ट में बदल जायगी तो जागीर रिज़म्पशन एक्ट में एक वर्ग विशेष, जो इस एक्ट के पास होने के बाद वर्ग विशेष नहीं रहा है, उसके हक खतरे में पड़ जायेंगे । इसमें हम लोगों की हँसी नहीं होगी कि एक महीने में आप दो कानून बनाते हैं और उन दोनों में एक ही चीज की परिभाषा अलग अलग रखते हैं तो यह बुरी बात होगी। यदि यह सदन इस तरह की परिभाषा रखेगा जो समझौते के विपरीत होगी तो अच्छा नहीं रहेगा । इन विचारों को सामने रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि खुदकाश्त के विषय में जो पहले की परिभाषा थी और जो ठीक मानी गई है और जिस पर हम पहले विचार कर चुके हैं वही रखी जाय । मैं निवेदन करूंगा राजस्व मंत्रीजी से और सरकार से कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे गलत कदम उठाया जा सके । जो परिभाषा १ महीने पहले पास कर चुके हैं वही परिभाषा इस टीनेन्सी लॉ में भी होनी चाहिए । मौजूदा परिभाषा विपरीत पड़ती । है मैनेजर और एजेन्ट पेड और सैलेरीड (Paid and salaried) शब्द सिलेक्ट कमेटी ने हटा दिये थे । अब रहा मैनेजर और एजेन्ट । मैं यह कहूँगा कि हूबहू वही शब्द जो जागीर-रिज़म्पशन एक्ट में हैं वे ही लिये जांय तो शंका मिट जायगी और सरकार ने जो एस्टेब्लिश्ड नीति सदन के सामने रखी है उस पर

[कुं० श्री जसवंतसिंह]

वह कायम रहेगी। माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं उनका मैं विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार भी उन्हें मंजूर नहीं करेगी और जो परिभाषा जागीर रिज़म्पशन एक्ट में है उसी के मुताबिक यहां भी करेगी।

श्री भीमसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, जो सिरोज से आये हुए महानुभाव ने सब क्लाज (२५) में प्रोविजो को ओमिट करने का अमेन्डमेन्ट रखा है उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रोविजो को ओमिट करने पर क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं और क्या नुकसान हो सकता है। इसमें जो आर्म्ड सरविसेज़ के आदमी हैं, विडोज़ हैं, माइनर्स हैं, डिसएब्ल्ड परसन्स हैं जो मजबूरी की हालत में काश्त जमीन पर नहीं कर पाते हैं उनको प्रोटेक्शन इस प्रोविजो के जरिये दिया गया है। इस प्रोविजो को हटाने से अपने प्रान्त में कितना नुकसान होगा, यह ध्यान देने की बात है। राजस्थान का नम्बर हिन्दुस्तान में आर्म्ड फोर्सेज़ की रेक्रुटिंग के लिए दूसरा है। पहला नम्बर पंजाब का है और दूसरा राजस्थान का है। अपने यहां के लोग बहुत बड़ी संख्या में १८ वर्ष की उम्र में ही आर्म्ड फोर्सेज़ में भरती होते हैं। १८ या २० साल नौकरी करने के बाद उनको पेन्शन हो जाती है। इस तरह से करीब ४० वर्ष की उम्र में एक सिपाही पेन्शन पाकर वापिस अपने घर आता है। जब घर आता है तो उसके पास खास कर के देहात में काश्तकारी का धन्धा होता है। उसके घर आने पर यदि उसका खेत उसको नहीं मिलता है तो अनएम्प्लोयमेन्ट की हालत कितनी भयंकर होगी, यह सोचने की बात है। सोल्जर्स जो देश के लिए मरने जाते हैं उनको आप प्रोत्साहन देने के बजाय डिस्करेजमेन्ट देंगे तो वाजिब नहीं होगा।

इसी तरह की हालत स्टूडेन्ट्स की है। लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। पढ़ने के बाद उनको केवल क्लर्क या मास्टर नहीं बनना है। पढ़े लिखों को मेन्युअल लेबर की तरफ आकर्षित करने को गवर्नमेन्ट की पोलिसी भी है और यह वाजिब बात भी है। पढ़ाई करने के बाद यह जरूरी नहीं है कि वे क्लर्की ही करें या मास्टरी करें। यदि यह प्रोविजो नहीं रहता है तो जो इन स्टूडेन्ट्स की लैंड होगी उसका क्या होगा। मान लीजिये एक स्टूडेन्ट के पिता या भाई नहीं हैं तो उसकी खेती का क्या होगा। नतीजा यह होगा कि ५ साल बाद सब लेट जमीन को नहीं करने देंगे तो उसके बाद उसके खेत का क्या होगा? यह जरूरी होगा कि उसका खेत खत्म होगा। जब वह पढ़-लिख कर वापिस आकर खेती करना चाहेगा या अपना खेती का धंधा करना चाहेगा तो उसके पास जमीन नहीं होगी।

यही हालत विडोज़ की है। खाविन्द के मरने के बाद यदि वह खेती कारणवश स्वयं नहीं कर सकती तो उसका खेत चला जायगा। यही हालत डिसएब्ल्ड परसन्स की होगी। ऐसी हालत में प्रोविजो को हटा कर कई अड़चनें खड़ी करेंगे। मैं समझता हूं कि यह प्रोविजो सोच समझ कर रखा गया है। जो डिसएब्ल्ड परसन्स हैं, सोलजर्स हैं, आर्म्ड सरविसेज में हैं, स्टूडेन्ट्स हैं और जो विडोज़ हैं जो मजबूरी की हालत में खुदकाश्त नहीं कर सकते उनको इस प्रोविजो से प्रोटेक्शन

[श्री भीमसिंह]

दिया गया है। इसलिये इस प्रोविजो को रखना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री किशनलाल शाह—माननीय चेयरमेन, लेंड कल्टीवेटेड पर्सनली के तीन सब क्लॉजेज़ हैं (१) (२) और (३) टुगेदर विद दी प्रोविजो। मैं इस सब क्लॉज़ के पहले दो सब क्लॉज़ हैं उनका समर्थन करता हूँ और तीसरा सब क्लॉज़ टुगेदर प्रोविजो है उसका विरोध करता हूँ। साथ ही इस विषय में जो लोग अमेन्डमेन्ट्स लाये हैं उनका भी विरोध करता हूँ। इस परिभाषा के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण दलील यह दी गई और इसलिये दी गई कि सरकार की ओर से माननीय राजस्व मन्त्रीजी को किसी समझौते और उसके महत्व पर पाबन्द किया जा सके, ऐसा लगता है। मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ है और उन्होंने कहा भी होगा लेकिन किसी दलील का सहारा लेकर, एक तरफ समझौते का सहारा लेकर उसका फायदा उठाया जावे और प्रत्यक्ष मार्ग पर जाकर कार्यान्वित करना चाहें तो बाधा डालें। जागीरी समस्या का समाधान करने के लिये एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई गई थी उसको आप असफल करने की चेष्टा करते हैं। माननीय विरोधी दल के नेता ने दलील दी थी, वे कहें कि क्षत्रीय महासभा ने जो समझौता किया था उसको विफल करने के लिये जो कार्यवाही विरोधी प्रतिनिधि दल करने जा रहा है उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

आपको उस समझौते की आड लेने के बजाय उनको समझाना चाहिये था कि जो समझौता हुआ है उससे संतोष करना चाहिये।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री किशनलाल शाह—I am exactly coming to the same point, just because the view points produced by some of the speakers relate to personal viewpoints and relations; whereas Sociology does not want this.

और इससे सारे बेग्राउन्ड में देखते हैं तो my logi becomes relevant. दूसरी दलील यह दी गई कि मिलीटरीमेन १५ साल बाद घर आकर क्या करेगा, सिविल सर्वेंट क्या करेगा और डिसएबल्ड पर्सन्स जो हैं वे क्या करेंगे। मेरा यह निवेदन है कि यह तो वही भावना है जो कन्ट्रोल के समय में थी। कन्ट्रोल में कहा जाता था कि कल क्या होगा, १००-५० मन शक्कर इकट्ठी करके रख लो। यह वही भावना है। वे भूल जाते हैं इस बात को कि जो आज है वह कल वही नहीं रहेगा। जो आज जागीरदार है वह हमेशा के लिए जागीरदार बना रहे, आज जो किसान है वह हमेशा के लिये किसान बना रहे, यह नहीं हो सकता। समय बदलने के साथ साथ अपनी परिभाषा को, अपनी केटेगरी को और अपने करेक्टर को बदलना पड़ेगा। यह कहा जाय कि एक आदमी पागल है, इडियट है उसके लिए क्या किया जाय? अगर वह अकेला है और दर-दर

[श्री किशनलाल शाह]

ठोकरें खाता फिरता है तो दूसरे गांव वाले उसकी मदद कर देंगे। अगर वह किसी फेमिली का मेम्बर है तो उसको प्रोटेक्शन देना नही पड़ता। इसलिये भविष्य में अविश्वास करना भी व्यर्थ है। तो मिलीटरी और सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको आगे के लिए प्रोटेक्ट कर देना और आज हम जिनको मानते हैं कि वे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिय इन्कार करना, यह कहां तक ठीक है? अगर इस तरह से किया गया तो उनको क्या विश्वास होगा? कल हमारा क्या होगा, यह भावना वही कन्ट्रोल वाली भावना है।

इसलिए ये जितनी बातें है वे सेक्शनल इन्ट्रेस्ट की बातें हैं। वह कहते हैं कि हमको इतना चाहिय, कैसे मिलेगा; यह सब समाजमाद के विरुद्ध ही पड़ती हैं। जो समझौता किया गया है वह सेक्शनल इन्ट्रेस्ट का किया गया है, समझौता करने वाले हैं उनका यह सेक्शनल इन्ट्रेस्ट है कि हमको यह दो और जो हमारा आज स्टेन्डर्ड हैं वह हमेशा के लिये सुरक्षित रहना चाहिये। आप दूसरों को हमेशा के लिये गुलाम और मजदूर बनाये रखना चाहते हैं और इसके बाद एक एक परसन के लिए यह कहना कि इस परसन के लिए यह हो जायगा और इस तरह आप चाहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद जिस तरीके से इन मामलों को डील करता आया उसी तरह इसे डील करते रहें, वकीलों के चक्कर में डालना, कानूनी चक्कर में डालना, यह राजनीति क्या है?

इसका आशय यह लिया जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से यह जो काम किये जाने का कहा जाता है उसके जरिये अशांति को न्योता देना है, जिसका सारे समाज को डर है।

इसलिये मैं इस प्रोविजो का सख्त विरोध करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली पर काफी बहस हो चुकी है और कुछ मित्रों ने एक दृष्टिकोण रखा तो कुछ ने दूसरा दृष्टिकोण रखा। यह वास्तविकता हैं कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनिशन है जो टिनन्सी एक्ट के बहुत से प्रोविजो पर एप्लीकेबल है। यह भी एक उसूल की बात है। हम यह जानते हैं कि मनुष्य की विचारधाराएं बहुत प्रगतिशील हो सकती हैं, हम चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ कर डालें; पर जिस तरह का रास्ता हमने अख्त्यार किया, जो सही रहा, जिसके द्वारा हमने जागीर रिज़म्पशन एन्ड लेन्ड रिफॉर्म्स का कानून पास किया उसका ध्यान रखते हुए सब काम करना होगा। हर एक प्रोविजो को एड करते समय या डेफिनिशन के बारे में केवल जोश और भावनाओं के प्रवाह में बहकर काम करने से कहां तक सफलता मिल सकती है, यह सब जानते हैं। इस डेफिनिशन में जैसा कि खुदकाश्त लेन्ड को रखते समय दो बाते की जाती हैं, एक व्यक्ति जिसके पास खुदकाश्त की जमीन हैं वह लेन्ड होल्डर भी है और खाते दार टिनेन्ट भी हैं; इसलिये मुगालता हो जाता है खुदकाश्त में। जागीर रिजम्पशन के पहले जो हजारों बीघा जमीन है वह बदस्तूर जारी रही और ५०० बीघा तक बाद में ले सकते हैं; पहले है तो उसको नहीं छेड़ा जायगा।

[श्री श्रीदास गोयल]

यह जो लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली, यह लैंड लोर्ड्स को प्रोटेक्शन है; जैसा कि कुछ मित्रों ने कहा । जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के अन्तर्गत जिस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ और जिस प्रकार की डेफिनिशन्स हैं उनमें और इसमें फर्क नहीं हो सकता, दो बातें नहीं हो सकती; वहां कुछ रखा जाय और यहां डेफिनिशन में कुछ रखा जाय। और टेनेन्सी एक्ट है इसमें यह मुलाहिजा फरमाने की बात है कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट केवल जागीरदारों पर एप्लाई होता है और यह दूसरे केपिटलिस्टों पर और दूसरे सैकड़ों हजारों बीघा जमीनों पर काबिज होने वालों पर भी एप्लाई होता है; बिड़लाज़, डालमियांज़ हैं–जो हजारों लाखों बीघा जमीन फॉर्म बना कर अपने एक मैनेजर या एजेन्ट के द्वारा काश्त करवाना शुरू करदें तो कोई रुकावट नहीं आयेगी, काश्त कराने की। और एक बड़ा उसूल है कि 'टिलर ऑफ दी सोइल' का सीधा संबंध सरकार से हो, वह उसूल समाप्त हो जायगा और होगा क्या "by servants on wages payable in cash or kind"

यह बदस्तूर रह जाता है तो आम तौर से यह होगा कि किसानों से एग्रीमेंट लिखवा लेंगे कि हम मजदूरी के इतने रुपये सालाना पर बहैसियत मजदूर के रह रहे हैं और इस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा कर अदालत की सील लगा लेंगे और फिर उन लोगों को जो रात-दिन खेतों पर काम करेंगे उनको बहैसियत मजदूर के काम में लिया जायगा और उनके पसीने की कमाई वे लोग खायेंगे। एक तरफ तो १।६ (एक बटा छः) हिस्से का कानून बना दिया, पर इससे वे लोग आधा और इससे ज्यादा भी ले सकेंगे, इससे हजारों-लाखों भूमिहीन लोगों को और खास तौर से राजस्थान के हरिजनों को जिनके पास कि काश्त के लिये कोई भूमि नहीं है उनको बड़ा नुक्सान होगा। इसलिये यह जो पार्ट है वह बड़ा डेन्जरस पार्ट है।

"बन्स मैनेजर और एजेंट" ये शब्द हटा दिये जांय। नहीं तो इससे लार्ज स्केल पर फार्मिंग करने की छुट्टी मिल गई जब कि हमारे यहां भूमिहीनों की समस्या है।

जहां तक इस प्रोविज़ो का प्रश्न है इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रोविज़ो बदस्तूर रहना चाहिये, वह निहायत जरूरी है। श्री बृजसुन्दरजी को थोड़ा सा मुगालता हो गया था। क्लॉज़ ३५ में सब लेट के सिलसिले में अधिकार दिये हुए हैं। अब सब लेटिंग के लिये परसनल सुपरविज़न की बात रखी गई है। क्या परसनल सुपरविज़न बगैर सब लेटिंग के नहीं हो सकता? एक सिपाही है, देश की नौकरी करता है। देश की सेवा के लिये १० हजार फौज के सिपाही नौकरी करने चले गये। उनके पास १०, १५ या २० बीघा जमीन है। वह वहां पर १०-१५ साल नौकरी करता है। अगर देखा जावे तो इस कानून के अनुसार उसकी १०, १५ या २० बीघा जमीन इस कानून के अनुसार छीनी जा सकती है। जब वह रिटायर होकर आवेगा, उसको यह जमीन नहीं मिल सकती। क्या उस व्यक्ति के खिलाफ अन्याय नहीं होगा? अगर आप उसकी जमीन को छीन लेते हैं तो मैं यह कहूँगा कि हम कानून बनाने वाले उन व्यक्तियों के साथ अन्याय करते हैं जो देश सेवा के लिये लड़ने के लिये फौज में गये हैं।

[श्री श्रीदास गोयल]

इसी प्रकार एक विडो है, एक माइनर है, या डिसएबल्ड परसन या पागल है उसकी रोटी-रोजी का ध्यान रखना पड़ेगा। वे लोग इसी तरह से सब लेटिंग से ही अपना इन्तजाम कर सकेंगे। सिपाही देश, राष्ट्र की सेवा के लिये बाहर गया है, वह परसनल सुपरविज़न नहीं रख सकता और परसनल सुपरविज़न की मंशा इसी तरह से पूरी हो सकती है। वह अपने एक मित्र के द्वारा फौज में नौकरी करते हुए भी और वहाँ रहते हुए भी खेती करा कर अपने घर वालों को उसकी प्रोड्यूस दिला सकता है। मगर जिस व्यक्ति के नाम खातेदारी है वह व्यक्ति तो लड़ाई में गया हुआ है, उसकी एवज में उसका दोस्त इन्तजाम करता है; इसके माने सब लेटिंग नहीं है। इसके लिये परसनल सुपरविज़न की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये।

ये दोनों बिल्कुल जुदागाना चीजें हैं और क्लाज़ ३७ में इनकी मंशा पूरी नहीं होती, इसलिये इसका रहना बिल्कुल जरूरी है और यह रहना चाहिये।

जहां तक श्री वेदपाल त्यागी ने कहा कि "recognised by the State Government." ये शब्द बदस्तूर रहने चाहिये और स्वीकार होने चाहिये, मगर ये शब्द स्वीकार होने के लायक नहीं। एक लड़का है, अभी ६ साल का है और स्कूल में भर्ती हो गया और २५ साल तक स्टूडेन्ट बना रहेगा। जब कानून में हम यह लिख देंगे तो ठीक नहीं होगा। वह २५ साल का होगा और ४,५ में पढ़ता रहेगा इसके लिए कोई मुमानियत नहीं हो सकती है। इसके पार्ट (३) में जो डेफिनिशन दी गई है वह बहुत माइल्ड और वाइड है। इससे किसानों को काफी राहत नहीं मिलेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस (३) में दी हुई डेफिनिशन को ठीक करके पास किया जावे।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो एमेन्डमेंट रखा है वह इस प्रकार है।

"but not by way of share in crops"

इन शब्दों को डिलीट करने के लिये वक्तव्य दिया और अपना व्यु पोइन्ट बताया और उसकी दलील के बारे में १०५ क्लॉज़ का हवाला दिया :

"Rent in kind to be recoverable by actual divesion of the produce."

क्लॉज़ १०५ में रेन्ट के बारे में कहा गया है। पर्सनल कल्टीवेशन में रेन्ट को कभी pre-suppose नहीं लिया जाता। इसलिये ये दोनों कोन्ट्राडिक्टरी नहीं हैं। यह रहना चाहिये कि टिनेन्सी में जो सिद्धान्त हैं उनको माना है। यदि ये वर्ड्स नहीं रखे जावेंगे तो ऐसा होगा कि टीनेन्सी लॉ में भूमि सम्बन्धी प्रगतिशील नीति जो अपनाई जाती है कि सब टीनेन्सी को deprecate किया जाय और फेअर रेन्ट रखा जाय, तो वह नीति खत्म की जावेगी।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

एक सदस्य ने बताया कि बेकार के शब्द नहीं रखे जावें। 'वेजेज़' वगैरह ये शब्द नहीं रखे जावेंगे तो किसानों पर बहुत बड़ा अन्याय हो जावेगा। आज टीनेन्सी लॉ में १।६ बांटा की जो बात है वह खत्म हो जावेगी। आज टीनेन्सी लॉ में सब टीनेन्ट की बात है उसको खत्म कर दिया जावेगा। किसानों से यह लिखा लिया जावेगा कि मजदूरी के रूप में १।२ या ३।४ बांटा लिया जावेगा। इस तरह से उन पर बहुत बड़ा जुल्म हो जावेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये शब्द ज्यों के त्यों रिटेन किये जावें।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker, Sir, I would say that' empty vessels make much noise' or my communist friend is inclined to argue in this way; but any way there is much discussion on this sub--clause (25), part (iii), and most of the speakers have expressed themselves against part (iii). Their slogan is "land to the tiller". Well, I rise to support my Hon'ble friend Hari Duttaji. He stated that this clause "but not by way of a share in crop" may not be included. I support it on the ground that this as suggested by my communist friend, should not be included in it because this will entail a lot of hardship and as my friend Mr. Tyagi said that 'paid manager or a salaried agent' should be deleted. I would give an instance that in most of the places in Bharatpur many relatives of a farmer work in the farms. Therefore it is not essential that he must be, you see, a paid manager or a salaried agent. The Select Committee has very wisely deleted these two words 'paid manager' and 'salaried agent'.

Then my Communist friend also brought about an amendment of 'essential human labour', that a proviso should be added. Probably he does not understand what exactly the words 'essential human labour' mean. Can he himself define in precise language what does it mean ? He should only define this. Law must be precise and simple. But probably he wants that everywhere and in every legislation his dialectics should work. Unfortunately, the Revenue Minister will not make his 'anti-thesis' word here in this legislation

(हंसी)

Some members argue that the proviso should be deleted. But, Sir, I am of the opinion that it is not covered by section 37 (1). That proviso is very comprehensive and we must provide for disabled and other persons who may finddifficulty in sub-letting their land.

I would support the Tyagiji's amendment regarding the words "recognised by the State Government." I think his purpose is served if the words "recognised educational institution" are added here.

Page No.39

[श्री श्रीभानसिंह]

Someone of my friends, Mr. Shah, speaking on this legislation, said that this sub-clause relates to a particular 'Varga Vishesha' (वर्ग-विशेष) or something like this. I think there is a cry in thisHouse : Jagirdar, Jagirdar, Jagirdar. I think it is high time that this House drops this cry. Today when we pass this legislation these jagirs have been resumed and there are no more jagirs and there are no more Jagirdars. We are passing a legislation for tenants. Obviously we can feel the interest of the tenants alone here and not jagirdars who are today no jagirdars or a privileged class, but only tenants. They have every such rights of subsistence as anybody else. Probably most people are trying this to impress the House and the Government, but the Government is as much interested in the welfare of tenants as in anybody else. If you like to delate this proviso, I would say, on all fours, "delete it" but I would impress upon the State Government that it should look to the individual right from the cradle to the grave. Be an exactly social welfare State. But you are willing to delete the proviso, you are willing to accuse the Jagirdars on the floor of the House and raise all sorts of cry against them, and all the same you are not prepared to look after the disabled persons, minors, widows, children. and students. Either be an out-right Communist State or be an outright social welfare State and look after the crippled.

As regards farming, Mr. Sridas Goel has expressed the fears that this country is going to run amuck under capitalist farming. Well, he will do well to remember that there is a capitalist farming in the United Kingdom. If he has read or gone through history he will find that this Bill is more in agreement with the Continental type where there is peasant proprietorship. We are going to establish peasant rights here. We do not need here the collective type of farming because we arre running subsistence farms; we are not running commercial farms as in the United Kingdom.

All the same, as Mr. Shah expressed that the socioogical demands are like this and the society demands collective farming. I may say with all the emphasis and with the support of expert opinion that farming in this country will always be individualistic and co-operative at the lower level. If we start collective farming, you shall have to pay a very heavy price. Therefore, Mr. Sri Das Goel's fears are, I think, set right.

Moreover, when the Revenue Minister has expressed on the floor of the House that ceiling is going to be fixed, and he has already appointed a Committee for the purpose, one cannot possess thousands of acres. When that comes, the whole land will be distributed or divided.

Page No.40

[श्री श्रीमानसिंह]

Therefore, I think, only with this addition of 'recognised educational institution' and retention of the clause as it is, I would snggest that it should be passed.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मिस्टर चेयरमेन सर, क्लॉज ४ के सब क्लाज २५ पर काफी बहस हो चुकी है और ज्यादातर महानुभावों ने यह प्रकाश डाला है कि इसके सब क्लाज (३): "by servants on wages payable in cash or in kind but not by way of share in crop and hired labour etc." It sould either be deleted. इस प्रोविजो को डिलीट कर दिया जाय या इसमें यह जोड़ दिया जाय कि जो यह कहा गया है उसके लिए संक्षेप में दो तीन बात अर्ज करूंगा ।

अगर आप ध्यान से सारे टिनेन्सी एक्ट को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 'लैन्ड कल्टर कल्टीवेटेड पर्सनली' में किसी को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं और ये शब्द सारे टिनेन्सी एक्ट में किसी भी जगह यूज़ नहीं किये गये हैं। ये सिर्फ यूज किये गये हैं क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ २३ में जिसमें लिखा गया है कि Khudkasht shall mean any land cultivated personally by a Jagirdar" इसमें एस्टेट होलडर को हमने डिलीट कर दिया है और अगर आप सारे टिनेन्सी एक्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि 'लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली' का कहीं यूज नहीं हुआ है। यह "लैन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली" यहां पर खुदकाश्त को डिफाइन करने के लिए रखा गया है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि जो डर बताया गया है, जो संभावना प्रकट की गई है 'लैन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली' को डिलीट नहीं करने से किसानो को नुकसान पहुँचेगा, सब लेटिंग की तादाद बढ़ाइ जायगी यह होगा या वह होगा। तो जिन लोगोंने ये बातें कही हैं अगर वे इस एक्ट को पूरा पढ़ लेते तो उनको पता चलता कि 'खुदकाश्त" एक टेक्निकल टर्म मानी गई है और उसकी डेफिशिन जागी रिजमश्न एक्ट ये रख दी गई है। अगर कोई जागीरदार पर्सनली किसी जमीन को कल्टीवेट करता है तो वह उसकी खुद की जमीन समझी जावेगी और उसके लिए कहीं सेक्शन ४ के सब सेक्शन २५ में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसी हालत में विश्वेदार, खातेदार या जमीदार पर 'लैंन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली' का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अगर इस बेकग्राउन्ड में देखें तो सब सदस्य सोचेंगे कि यह बहस एलीमिनेट हो जाती है और लैन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली की डेफीनिशन किसी को रेस्ट्रिक्टेड राइट्स नहीं देती है। जो जमीन खुद काश्त करता है उसके अलावा इस लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली की और कोई डेफिनिशन नहीं होगी।

सबलेटिंग का जो हवाला दिया गया है, उसे माननीय सदस्यों ने यदि गौर से देखा है तो पता चलेगा कि सबलेटिंग की जो परिभाषा है उसके अनुसार कौन सब लेट कर सकता है ? इन दोनों का मिक्स अप करने की जरुरत नहीं है। सबलेटिंग और लैन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली दोनों अलग अलग चीजे हैं। लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली में दो आदमियों की आवश्यकता नहीं है, सबलेटिंग में तो दो आदमीयों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो वह जिसकी जमीन है, और दूसरा वह जिसको सब लेट किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं अर्ज करूंगा कि इसको इस कान्टेक्स्ट

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

में समझा जाय कि "लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली" से जागीरदार या केपिटेलिस्ट को फायदा होने वाला है और किसानों को नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि यदि आप इस बेकग्राउन्ड पर गौर फरमायेंगे तो आप जरूर सोचेंगे कि "लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली" की परिभाषा है, वैसी ही रहनी चाहिए।

यह भी कहा गया है कि ये शब्द "but not by way of a share in crops" भी डिलीट कर दिये जांय। मैं यह अर्ज करूंगा कि जब सिलेक्ट कमेटी में इस बात की बहस आई थी तो उस पर काफी लम्बी चौड़ी दलील हुई थी और इसको रखना जरूरी इसलिए समझा गया कि हमने छठा बांटा फिक्स किया है और कोई खातेदार, काश्तकार, कोई भी जागीरदार या एस्टेट होल्डर यह कहे कि मेरी इसके साथ सरकत है, सरकत में काश्त करना रखा है यह नौकर है, तो छठे बांटे की व्यवस्था इसलिए की है कि यह उसको कवर कर सकता है, शेयर ले तो तीसरा और आधा बांटा ले सकते हैं। इस प्रकार जो वाकई काश्तकार हैं उसको भी नौकर बता सकते है, उसस बजाय छठे बांटे के आधा बांटा ले सकते हैं और इसलिए इसको रखने की आवश्यकता अनुभव की गई है। सिलेक्ट कमेटी ने भी काफी विचार करने के बाद निश्चय करके इसको रिटेन किया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगई है जिससे इसको डिलीट कर दिया गया है। मेरे खयाल से इसको रखना जरूरी है।

माननीय श्रीदासजी गोयल ने बताया कि यह व्यवस्था करते हैं उस हालत में विडोज़, माइनर और स्टूडेन्ट्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई विडो है वह काश्त तो नहीं कर सकती, हल तो नहीं जोत सकती है और यही हिसाब माइनर का भी हो सकता है। इसलिए हमको in all fairness उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए और जो परिभाषा इसमें है वैसी ही रहनी चाहिए।

एक अमेन्डमेन्ट माननीय त्यागीजी ने रखा है इसमें 'रिकग्नाइज्ड बाई दी स्टेट गवर्नमेन्ट' नहीं रहना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें इतना काफी हो सकता है कि 'recognised educational institution.' में बाई स्टेट गवर्नमेन्ट रिडन्डेन्ट है। बहुत सी ऐसी एजुकेशनल इन्स्टीटुशन्स हैं जो गवर्नमेन्ट से रिकोग्नाइज्ड नहीं हैं और युनिवर्सिटी वगैरह से जहां से रिकोग्नाइज्ड होनी चाहिये रिकोग्नाइज्ड होती हैं। और इसमें "or is a member of the military, naval or air service of India, or who, being a student of a recognised educational institution" तो इससे हमारा काम चल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं इसको इस तरह से माना जाकर बाकी क्लॉज़ ऐसा का ऐसा ही रहे।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा:—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ २५ पर काफी बहस हो चुकी है। इसके अन्दर मैं मेरे माननीय सदस्य जो भरतपुर से आये हैं, उनके पक्ष

Page No.42

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

में कुछ बोलना चाहता हूं । यह जो धारा २५ है उसको डिलीट न किया जाय उसको यों ही रखा जाय । इसके अन्दर लिखा है

"but not by way of a share in crops"

इसके लिये कई माननीय सदस्यों ने रखा है कि इसको डिलीट कर दिया जाय। उसके लिये मेरा निवेदन है कि बहुत से किसान होते हैं जो बहुत गरीब हालत में होते हैं, उनके पास जमीन होती है किन्तु बोने के लिये पैसा नहीं होता है, ऐसी हालत में आप इस समस्या का हल किस तरह करना चाहते हैं ? जब इनके पास काइन्ड या केश में देने को कुछ नहीं होगा तो वे जमीन को जोत नहीं सकेंगे । वैसी हालत के अन्दर इसको हटाया जाना जरूरी है ।

दूसरा त्यागीजी ने जो संशोधन रखा है 'रिकग्नाइज्ड बाई दी स्टेट' इसके लिये जरूरी है कि ये शब्द डिलीट हो जाने चाहिये । क्योंकि हमारी सरकार ऐसी नहीं कि शिक्षा विभाग से तमाम स्कूलों को रिकगनाइज़ करवा दे, बहुत सी ऐसी संस्थायें हो सकती है जो सरकार की मान्यता को प्राप्त न की हुई हों उसके अन्दर किसानों के नाबालिग बच्चे पढ़ते होंगे; अगर वे जमीन पर काश्त करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते तो इससे बड़ा भारी झगड़ा फंस जायगा, किसानों को बहुत दिक्कतें हो जायगी । इसलिये 'रिकगनाइज्ड बाई दी स्टेट' ये शब्द कतई नहीं रहने चाहिये । अगर किसी अन्य संस्था में किसान का लड़का पढ़ता है तो उसको वहां के तहसीलदार या कलेक्टर को चाहिये कि उसका रिकग्निशन कर ले । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये शब्द इसमें से निकाल देने चाहिये ।

श्री ईश्वरी सिंह—माननीय चेयरमेन, म्हे त्यागीजी रे प्रस्ताव रे समर्थन में खड़ो हुयो हूँ । हरेक आदमी आ केवे है कि भाई ठीक है कि आ सरकार काश्तकारां री भलाई करणने उठी है, शरणों काश्तकारां को ले है । एक सीधी सी बात है काश्तकार वे मान्या जाय जो खुद आपणा हाथसूं काश्त कर सके है । तो आज दुनियां में जो चीजां हो रही है, अबार री सरकार रे सामने हो रही है पहलो सवाल जो दुनियां में हो रह्यो है बहुत दिनां सूं हो रह्यो है वो है भूदान को सवाल । जब भूदान रो सवाल अठे आयो तो बीसियां जागीरदारां भूदान में जमीनां दी, सौ सौ बीघा जमीनां दी । १००, १०० बीघा तक भूदान में नाम करायो । ओ जागीरदार बहुत अच्छा काम करयो । इन तरह सूं हजारों बीघा भूदान कर दीनी है । आज वे ही लोगां नाडियां साफ करवा दी, तालाब साफ करवा दिया और उन जमीन ने आपरे कब्जा में लेली । इण तरह सूं हजारों बीघा जमीन आपणां नाम सूं कर लीनी, बडा बडा फार्म खडा कर दिनां इणरो बेरो किने । इणरो बेरो तो कोई नी करे । आपारा सीकर वाटी में एक मिसाल है जो मैं आपरे सामने रखणी चावूं हूं कि गादडा रात में रोवे है । जद आ बात राजा ने पतो लागी तो राजा पूछियो के ये गादडा रातने रोवे क्यूं है । तो उणा ने जबाब मिल्यो कि बावजी याने सी लागे इण वास्ते रोवे है । तो राजा हुकम दियो के इणांरे वास्ते सोड़ बनादो । जब दूसरा दिन भी गादडा रोया तो फेर राजा पूछियो अब किण बात री कमी है । तो

[श्री ईश्वरीसिंह]

उणाने कह्यो कि आपजी आज तो ये आशीर्वाद देवे है। इणी तरह सूं जो जमीन की काश्त ने खुद नहीं देखे तो उणारों अधिकार उण माथे किण तरह सूं हो सके है।

मैं आपने देवीसिंहजी जो बाता कही वे केणी चावूं। देवीसिंहजी खेती कदे ही करी नहीं। प्रत्यक्ष ने प्रमाण री जरूरत नहीं। देवीसिंहजी तीन तीनसौ बीघा जमीन बेची। इण तरह सूं हजारों लाखों रूपया री जमीन बेच दीनी। आज जद सामने चीज आई खुद काश्त की जमीन दिखा दी। इण तरह सूं खेत करे है। म्हारा सीकर का इलाका में ऐसी जमीन ही जो घणा बरसां से पडत पडी ही ऐसी २० हजार बीघा जमीन सीकर का दरबार बेच दीनी जो लाखों बरसांसे पड़त पड़ी ही। काश्त दुनियां करवा दे जैसो टंटों सीकर का इलाका में चाले है उण टंटा ने मिटावण रे वास्ते आज जो प्रजातंत्र रो राज केवे है कोई उपाय नी करे है। आज जो आशा करे कि म्हां इण प्रजातंत्र रे राज में सुखी होजावां लां आ एक तरह सूं गलत बात लागे है। काल री ही बात है। कुछ लोंगा रे पास गवर्नमेन्ट निमत्रन्ण भेज्या उणा में एक आदमी उठयो और आपरी सच बात कह दी। साफ चीज आ होणी चावे जो खुद हल चला सके खुद खेती में धान बो सके उणारी खेती होनी चाहिये। अठे आपां १६० आदमी बैठा हां अठे निणान हो रह्यो है। इणां में मैं ७० साल को काश्त कार हूँ। मैं जितनी निणान एक दिन में कर सकूं दूसरो नी कर सके इण वास्ते म्हारो ओ ही केणो है कि काश्तकार वीने ही मान्यो जाय जो खुद आपरां हाथां सूं काश्त कर सके। आज रा दिन वे लोग भी काश्तकार हो रहया है। जिणानें ओ भी पतो नहीं काश्त किण में से उगे हैं, पोद किणमें से उगे है। वैसा लोग भी काश्तकार बणने चल्या है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन महोदय, इस सब क्लाज पर काफी वादविवाद हो चुका हैं कई प्रकार के दृष्टिकोण सदन के समक्ष आये हैं। मैं समझता हूँ, सदन मुझे इस बात की ईजाजत देगा कि इस प्रश्न पर अन्तिम उत्तर मैं या तो कल या सोमवार को दूं। इस डेफीनिशन और एग्रीकलचर की डेफीनेशन, इनको फाइनल डिसाइड करने के बारे में मैं कल या सोमवार तक का समय चाहता हूं।

श्री सभापति—दो–तीन डेफीनिशन्स इकट्ठी हो जायंगी।

लेन्ड, ज़ागीर लेन्ड, एग्रीकलचर आदि...

(विराम)

श्री सभापति—उपखण्ड (२५) पर निर्णय अभी स्थगित कर दिया गया है। अब उपखण्ड (२६) को लिया जाता है। श्री एच. के. व्यास अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

[श्री सभापति]

(अनुपस्थित)

श्री भैरूसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल ।

(अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सब क्लॉज़ (२६) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"In part (ii) the words "or a village servant shall be omitted and the word or shall be insertel after the words "rent-free grantee."

इसमें मेरी यह तरमीम है कि विलेज सर्वेन्ट को रिमूव कर दिया जाना चाहिए और जब विलेज सर्वेन्ट रिमूव कर दिया जाता है तो फिर यह रेंट फ्री ग्रान्टी के आगे और बढ़ा देना चाहिए। फिर यह इस तरह से पढ़ा जावेगा —

(ii) a rent—free grantee or a grantee at a favourable rate of rent,"

इस तरमीम की मन्शा यह है कि लेण्ड होल्डर की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जो आम तौर पर किसी टीनेन्ट के जरिये काश्त करता है या किसी भी तरह से इस जमीन का भागीदार है जिससे कि वह दूसरों के जरिये इसका मुनाफा कमाता है या उस गांव से बाहर रहता है या किसी तरह से भागीदार है या वहां जाकर दूसरों से काश्त करवाता है। ऐसी स्थिति में एक विलेज सर्वेन्ट के लिये यह जरूरी नहीं है कि दूसरों के जरिये से काश्त करावे। इसलिये मेरी यह तरमीम है कि विलेज सर्वेंट जो इस प्रकार है...

"part (iv) of sub—clause (26) be omitted."

यह ओमिट कर दिया जाना चाहिये।

आम तौर पर जो ग्रोव होल्डर होता है यह, अपने लिये जो हमने परिभाषा रक्खी है उसकी तहत में न सबलेट होती है और न किसी तरह से यह मौका दिया जाता है कि ग्रोव होल्डर अपनी जमीन में ग्रोव किसी दूसरे को करने दे। तो लेण्ड होल्डर की परिभाषा में ग्रोव होल्डर भी आ जाता है, इसलिये यह बेसूद हो जाता है यहां पर। तो लैण्ड होल्डर में से यह भी ओमिट कर दिया जाना चाहिये। यही मेरी मन्शा है।

Page No.45

(इसके पश्चात् श्री एच. के. व्यास का संशोधन लिये जाने के विषय में)

श्री सभापति—(श्री एच के व्यास से) You should be present in the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The amendments have already been moved, Sir. I don't want to move this amendment

श्री सभापति—You don't want to move ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No. sir, I dont want to moue.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं मानता हूँ कि जो सीरोंज से आने वाले महानुभाव ने अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह उचित प्रतीत होता है, इसलिये उसे स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ २६ पर श्री बृजसुन्दर शर्मा ने जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है उसको मिनिस्टर महोदय इन्चार्ज मन्जूर करते हैं। और कोई अमेन्डमेन्ट बाकी रहा नहीं इसलिये इस पर सम्मति ली जाती है। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (२६) संशोधनानुसार स्वीकृत किया जावे।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ २६ संशोधनानुसार स्वीकृत हुआ।

उपखण्ड (२७)

Now we take sub clause (27), shri Brij sundar sharma.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं, मेरा कोई अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ पर नहीं है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—श्री भैरोंसिंह।

[श्री सभापति]

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल ।

(अनुपस्थित)

सब क्लॉज़ (२७) पर और कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हैं और जिन्होंने अमेन्डमेन्ट दिये वे हाजिर नहीं हैं इसलिये इस पर मत लिये जाते हैं । क्या सदन को यह स्वीकार है ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२७) स्वीकृत हुआ

उपखण्ड (२७ ए)

Now sub clause (27 A.) Shri Brij Sundar Sharma

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, २७ ए में जो मेरी तरमीम है वह इस तरह से है कि जहां जहां " rules framed" हैं उसके बाद "or orders passed " कर दिया जावे । तब यह सब क्लॉज़ इस प्रकार पढ़ा जावेगा :

" Pasture lnad means an area reserved in accordance with rules framed or orders passed' by Governmant from tlme to time for the grazing of cattle of a village or villages situated near such area " अगर यह "रूल्स फ्रेम्ड" भी नहीं रहता है तो यह इनइफेक्टिव है । रूल्स की तहत में जो ऑर्डर टाइम बाई टाइम पास किये जावें तो यह इफेक्टिव होगा । नहीं तो रूल्स फ्रेम्ड के बारे में यह है कि अकेले रूल्स फ्रेम्ड से ही रूल्स में थोड़े ही जमीन दर्ज करेंगे । इसलिये इन अकोर्डेन्स विथ दीज रूल्स फ्रेम्ड (in accordance with these rules framed) जो ऑर्डर्स पास किये जावें और जिसकी तहत में पाश्चर लैंड रिज़र्व किये जावें वही (framed)उपयुक्त होगा । इसलिये इसको इफेक्टिव बनाने के लिए यह मेरी तरमीम मन्जूर की जानी जरूरी है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मिस्टर चेयरमैन सर, जो संशोधन की लिस्ट्स हमें सर्कुलेट की गई हैं, उनमें तो इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं है, जैसा कि अभी माननीय बृजसुन्दरजी ने फरमाया ।

Page No.47

[कु० श्री जसवंतसिंह]

तो ये 'रूल्स फ्रेम्ड' भी चाहते हैं और यह तरमीम भी चाहते हैं, ये दोनों बातें ये चाहते हैं। पर इस वक्त आपने जो फरमाया है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसको इफेक्टिव बनाने के लिये "रूल्स फ्रेम्ड और आर्डर्स पास्ड" दोनों होने चाहिये।

कु० श्री जसवंतसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) तो मैं तो यही चाहूँगा कि रूल्स फ्रेम्ड ही काफी होता है। आॅर्डर पास्ड में इन्डिविजूएलिटि पैदा हो जाती है जब कि पाश्चर लैण्ड जनरल एप्लीकेबिलिटि का मामला हैं। लोग इसकी तो आम जानकारी रख सकेंगे, आॅर्डर पास्ड की नहीं रख सकेंगे। एक आॅर्डर पास किया जाता है उसमें इनडिविजुअलिटि होती है और इससे गलतफहमी होने की सम्भावना रहती है और इससे कहीं नुक्सान भी हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से यह रूल्स फ्रेम्ड जो हैं वे जनरल टर्म्स में हैं और यही उपयुक्त होगा। जहां तक मेरा ख्याल है हम लोगों ने यू० पी० के टीनेन्सी बिल में से यह मसाला लिया हैं पर वहां पर भी ऐसी बात प्रतीत नहीं होती है। इसलिए जैसी इसकी मौजूदा शक्ल है वह बिल्कुल ठीक मालूम होती है। यह जनरल एप्लीकेबिलिटि का मामला है इसलिए 'आॅर्डर पास्ड' नहीं होना चाहिए।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, इस विषय में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर जो तारीफ दी गई है पॉश्चर लेन्ड की कि कौनसी वह जगह होगी जिसको कि गांव वाले और सरकार मानेगी कि यह पाश्चर लेन्ड है या नहीं। इस विषय का एक संशोधन माननीय सदस्य जो सिरोंज से तशरीफ लाये हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि उनका आशय जो इस क्लॉज़ में है उससे बिल्कुल ही भिन्न है। वह यह चाहते हैं कि पाश्चर लेन्ड वह कहलाएगा जो एक तरह की लैन्ड जो सरकार उसको मानेगी इन एकोर्डेन्स विथ दी रूल्स और दूसरी पॉश्चर लेन्ड वह होगी जो सरकार अपने हुक्म के द्वारा किसी पर्टीक्यूलर लेन्ड को पाश्चर लेन्ड कहेगी। जहां तक रूल्स का सवाल है उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार जब रूल्स निश्चित करेगी कि उन रूल्स के मुताबिक जो जमीन मानी जायगी या समझी जायगी उसी जमीन को केवल पाश्चर लेन्ड कहा जायगा। अब सवाल यह पड़ता है कि अगर सरकार बिना रूल्स को देखते हुए, रूल्स के खिलाफ होते हुए भी कहे कि यह आॅर्डर कर दिया गया है कि इस लेन्ड को पाश्चर लेन्ड कहा जाय तो माननीय सदस्य के संशोधन के मुताबिक वह पाश्चर लेन्ड कही जायगी और उसमें 'और आॅर्डर पास्ड' का मतलब यह होगा कि एक तो रूल्स के मुताबिक और दूसरी वह जमीन जिसके लिए सरकार हुक्म दे कि यह पाश्चर लेन्ड मानी जाय; लेकिन मैं इस बात को मान कर चलता हूँ कि सरकार की यह नीति नहीं है और न ही सदन की यह राय है कि दूसरी तरह की जमीन को पाश्चर लेन्ड कहा जाय अलावा उस लेन्ड के जिसको कि सरकार कानून और रूल्स के तहत कहे कि किसी खास जमीन को पाश्चर लेन्ड माने तो इस राय से हम सब इत्तिफाक रखते हैं। इस बिल के कानून बन जाने के बाद में इसके तहत रूल्स बनेंगे और

Page No.48

[श्री जवान सिंह]

उनके मुताबिक हर गांव में पाश्चर लेन्ड रखी जायगी। इसके अलावा दूसरे किसी लेन्ड को पाश्चर लेन्ड मानना सही नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का यह क्लॉज़ रखा गया है उसी प्रकार से पास करना चाहिए।

श्री चांदमल मेहता—चेयरमेन महोदय, इसमें मेरा भी एमेंडमेंट है।

श्री सभापति—आप शुरू करिये।

श्री चांदमल मेहता—मि० चेयरमेन, सर। I beg to move the fellowing amendment to sub-clause 27 A of clause 4:—

"Substitute the words 'shall mean' for the word 'means'" मैं सोचता हूँ कि इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन महोदय, इस पाश्चर लेन्ड की डेफिनिशन के बारे में मैं समझता हूँ कि जो इसमें दिया हुआ है उससे भी परपज़ पूरा हो जाता है। 'ऑर्डर' शब्द लाने से तो मुगालते की गुंजाइश मालूम होती है। वह गवर्नमेंट की मन्शा नहीं है कि दरअसल कोई मुगालता हो। इन्डीवीजुअल ऑर्डर्स अन्डर न्यू रूल्स गवर्नमेंट को पास करने का अख्त्यार दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो ऑलरेडी पाश्चर लेन्ड डिक्लेयर्ड हैं उनका समावेश भी इसमें नहीं होता है इसलिए इस डेफिनिशन को रिड्राफ्ट करके कुछ समय के बाद ही हम इस पर डिसीज़न कर लेंगे जिससे कि जो मन्शा हमारी है उसकी पूर्ति हो जाय। वह ५, १० मिनिट बाद ले लेगें। इससे आगे चलें।

श्री सभापति—इस सब क्लॉज पर बिचार कुछ समय के लिय स्थगित कर दिया जाता है।

उप खण्ड (२८)

सब क्लॉज़ (२८) लिया जाता है। इसके ऊपर किसी का एमेंडमेंट नहीं है, इसलिये इस पर मत लिया जाता है।

श्री जवानसिंह—मेरा अमेन्डमेंट है।

श्री सभापति—आपका है। अच्छा बोलिये।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, उपखण्ड (२८) में एक तारीफ दी गई है और उसमें मैंने यह निवेदन किया है कि जहां पर रेन्ट के साथ में 'डिवीजन' शब्द आयेगा तो उसके आगे 'Or render' शब्द जोड़ दिया जाय, मैंने यह संशोधन महज इसलिए रखा है कि उन आदमियों

[श्री जवानसिंह]

की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं कि जो कि हमारे राजस्थान के काफी हिस्से में, काफी संख्या में मौजूद हैं, और वह जिस प्रकार से एक काश्तकार केश में रेन्ट अदा करता हैं या काइन्ड में जिस प्रकार से एक एग्रीकल्चरिस्ट रेन्ट पे करता हैं उसी प्रकार से यह उन काश्तकारों की भी श्रेणी हैं। जो सर्विसेज रेन्डर करते हैं और सर्विसेज जिस कदर नकदी में लगान है या काइन्ड में लगान है उसी प्रकार से लगान हैं। उस लगान की सूरत अवश्य एक सर्विसेज़ रेन्डर में हैं। वह विलेज सर्वेन्ट की तारीफ में नहीं लाये जाते हैं और न उसकी परिभाषा जो दी गई हैं उसमें उनका समावेश होता है। इसलिए अगर इस जगह जहां कि रेन्ट शब्द प्रयुक्त होगा उसके साथ में पे करने का सवाल आयेगा, उसके तहत में यह शब्द रेन्डर का समावेश कर दिया जाय तो मेरा निश्चित मत है कि उन लोगों के लिए अगर वह केश में रेन्ट देते है या काइन्ड में रेन्ट देते है या सर्विस में रेन्ट देते है तो उनका मतलब पूरा होजाता हैं। मेरा ख्याल है कि उन आदमियों को भी आप निश्चित तारीफ में ले आवेगें और उनका हक एक काश्तकार के जैसा मानेगें।

आज जो परिस्थिति है जो सूरत हैं, उसमें तनिक भी फेरफार नहीं है दूसरे काश्तकार के मुकाबले में। वह काश्तकार इसी तरह से अपनी जमीन के ऊपर खेती करता हैं। वह सरकार को नगदी में लगान नहीं देकर सरकार को नौकरी देता हैं यानी वह अपने पटवार सरकिल में से पटवारी के पास से तहसील में जाता है और सरकारी रकम जमा करता है, या सरकार के जो कागज होता है, तो लाकर देता हैं और तहसील हैडक्वार्टर में जाता है, उसको दे देता हैं। इस तरह के जो सरकारी काम होते हैं पटवारी के पास सरकार का जो काम होता है उस काम को वह आदमी करता हैं। मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान सिरोही डिस्टिक्ट की ओर दिलाना चाहूंगा जहां कि ऐसे काफी काश्तकार हैं जो कि सरकार का काम लगान के एवज में करते हैं और अपनी जमीन पर काश्त करते हैं। (श्री सुखाडिया के नाकभौं सिकोड़ने पर) आपका नाकभौं सिकोड़ना मेरे ख्याल में ठीक नहीं। इस बात की जानकारी सब को होनी चाहिए। वहां नहीं बल्कि और भी बहुत सी जगह हैं। अगर सही बात को माना जायगा तो मेरा ख्याल है कि वह अच्छी तरह से समझ में आ जायगी। उनको भी अधिकार देना चाहिए जो और दूसरे काश्तकारों को है जो नगदी लगान देते हैं और उसके बजाय में काइन्ड में रेन्ट देते हैं इसी तरह से उन आदमियों को एग्रिक्लचरिस्ट मानें, उसी तरह से टिनेन्ट्स मानें कि वह भी सरकार को लगान नगदी में दे या काइन्ड में दे। वे सर्विस के रूप में देते है। यहां पर आकर 'शब्द और रेन्डर' को जोड़ दिया जाय। तो मेरा ख्याल है कि उनको हक देदें। नये हक देने का यहां पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनके हक रिकग्नाइज करलें, कि वास्तविक रूप में जो टिनेन्ट्स हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, हमारे माननीय मित्र ने जो अभी सुझाव दिया है कि रैन्डर को भी इस मैं इन्क्ल्यूड कर लेना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यहां डैफिनेशन में

Page No.50

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

किसी दूसरे वर्ड को इन्क्ल्यूड करना ठीक नहीं रहेगा। यहां पर तो " grammatical variations and cognate expressions " वर्ड्स यूज़ किये हुए है, " Pay with reference to rent " दिया गया है। कहीं ऐसा होता है कि किसी के जरिये किसी का लगान डिलीवर कर दिया जाता है, इस सेन्स में डिलीवर शब्द आया है। इसकी अदायगी उसी लगान की तरफ से आ जायगी। रैन्डर का यूज सर्विसेज़ के रूप में है। सर्विसेज़ के रूप में सरकार को लगान दे, केश न देकर। कोई यह कहे कि मैं और और तरह तरह की सर्विसेज रेन्डर कर दूंगा लगान के बजाय; ऐसी बात कही भी मेरे तो देखने में नहीं आई।

श्री जवान सिंह—आपके देखने में नहीं आई होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(जारी) इस एक्ट के पास होने के बाद जहां जहां पर रेन्ट शब्द आयगा वहां ' render ' शब्द नहीं आयगा। लगान अदायगी का और कोई तरीका नहीं है जैसा कि शेअरिंग क्रोप आदि होता है, लेकिन सर्विसेज़ रेन्डर करके लगान अदा करके यह पहले होता होगा लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद यह नहीं रहेगा; इसलिये यह उचित नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—यहां पर शब्द ' render ' लाने के बारे में जो संशोधन दिया गया है यह पहले सही हो सकता था। कहीं पर इस प्रकार की अब भी गुंजायश हो। मेरे सामने कई बार कुछ इस प्रकार के प्रश्न आये जहां पर बेगार के तौर पर काम लिया जाता था उनको बदले में जमीन दी जाती थी। लेकिन जहां जहां पर यह प्रश्न आया आम तौर से गवर्नमेन्ट ने इस नीति से काम लिया कि उनका रेन्ट फिक्स कर दिया जाय और अब सर्विसेज रेन्डर करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। अब इस 'रेन्डर' शब्द को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्विसेज़ लेकर रेन्ट को एडजस्ट किया जाय ऐसी प्रथाएं पहले थीं और बहुत सी जगह थीं। जहां जहां ऐसी प्रथा हमारे नोटिस में आ रही है वहां वहां उनको चेन्ज किया जा रहा है, अब भी जहां है वहां चेन्ज करने का प्रश्न है। पहले बेगार की प्रथा थी। अब सारी चीजों में रद्दोबदल हो रहा है। अब इस डेफिनेशन में रेन्डर शब्द को लाना उचित नहीं होगा इसलिये जो मौजूदा डेफिनेशन है वही ठीक है।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन मुझे एक बात और निवेदन करना है। मेरे माननीय मित्र जो सिरोंज से आये हैं उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट कर दी कि उनके ध्यान में ऐसी चीज नहीं है इसलिये नहीं होना चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि सदन का एक सदस्य राजस्थान के हर कोने से और हर रिवाज से वाकफियत रखता हो और इस कदर माननीय सदस्य यदि इस प्रथा या रिवाज से अनभिज्ञ हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन यदि अनभिज्ञता है तो निश्चित रूप से मत प्रकट करना ठीक नहीं है। यह उदार दृष्टिकोण नहीं कहा जायगा, मुझे यही निवेदन करना है।

[श्री जवानसिंह]

दूसरी बात राजस्व मंत्री ने कही कि ऐसी प्रथा जहां जहां है उनको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर जागीर प्रथा रही है वहां पर जागीर में चौकीदार या और किसी काम के लिये जमीन वहां के रहनेवाले आदमियों को नौकरी की एवज में देदी गई है और उनसे कोई केश या काइन्ड में रेन्ट नहीं लिया जाता है; इससे उनकी स्थिति राजस्थान में अच्छी नहीं होगी जो और काश्तकारों की है। जिनसे काम लिया जाता था चौकीदारी या और कोई उनको जमीन दी जाती थी जिस पर वे काश्त कर लेते थे उनसे कोई लगान केश या काइन्ड में नहीं लेते थे। लेकिन जब इस चीज को मानना नहीं है तो और दलीलें देना भी व्यर्थ है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि मैं इस अमेन्डमेंट को प्रेस करना चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह ने जो अमेंडमेंट क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (२८) में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (२८) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२८) स्वीकृत हुआ

उपखण्ड (२९)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेअरमेन महोदय, सब क्लॉज़ (२९) में जो मेरी तरमीम है वह बहुत ही फोर्मल है और इससे इस सब क्लॉज़ का सारा मतलब सही निकलता है। अभी जो शब्द लिखे हैं वे ये हैं:"Prescribed' shall mean prescribed by or under this Act.'

और मेरी जो तरमीम है उसके अनुसार "by rules made under this Act." हो जायगा। उसका मतलब यह है कि जो चीज प्रेसक्राइब्ड होती है वह एक्ट की तहत में होती है, इसलिये "by the rules mhde under this Act." होना चाहिये instead of 'or'.

श्री सभापति—क्या यह ठीक है ?

Page No.52

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I accept it.

(संशोधन को स्वीकृति के लिये पृथक न लेकर)

श्री सभापति—सब क्लॉज़ (२९) में जो श्री बृजसुन्दर शर्मा ने अमेंडमेंट दिया है उसको मन्त्री महोदय मंजूर करते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

sub clause (29) of clause 4, as amended, is accepted.

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, क्या मत संशोधन पर लिये हैं या क्लॉज़ एज अमेन्डेड के लिये हैं ?

श्री सभापति—दोनों ही शामिल हैं।

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है कि दोनों के अलग अलग मत होने चाहिए इस सदन में।

उप खण्ड (३०)

श्री सभापति—सब क्लॉज़ (३०), श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेअरमेन महोदय, सब क्लॉज़ (३०) में भी इसी तरह का मेरा फोर्मल अमेन्डमेन्ट है। एक तो यह है कि 'शैल मीन' की जगह 'मीन्स' होना चाहिये। इसकी वजह यह है कि 'शैल मीन' जहां आता है वहां एक्शन फ्यूचरटेन्स का होता है और रजिस्टर्ड डोक्युमेन्ट्स इस एक्ट के पास होने से पहले जो एक्ट रायज थे उसके तहत में भी हो सकते हैं। दूसरे एक्ट के अन्तर्गत जो पहले से एग्ज़िस्ट करता था रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसलिये इससे पहले यदि रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे एक्ट की तहत में था तो 'शैल मीन' से काम नहीं चलेगा। यदि इसी एक्ट के तहत में है तो 'शैल मीन' ठीक है इसलिये मैंने 'शैल मीन' के बजाय 'मीन्स' रखा है।

दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "Registered shall mean.................. attested under provisions of Section 19 A of this Act;"

जब आप सेक्शन १९ (ए) को देखेंगे तो पता चलेगा कि नम्बरिंग की गलती है। सेक्शन १८ के आगे १९ (ए) आ जाता है। ठीक नम्बरिंग होगा तो १९ होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसे करेक्ट कर लिया गया है। १६ ए के बजाय १६ है। This is very formal and I have no objection.

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (३०) के ऊपर श्री बृजसुन्दर शर्मा के, जो अमेन्डमेन्ट्स हैं, जिन्हें मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है, क्या सदन उन्हें स्वीकार करता है?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट्स एक्सेप्ट कर लिये गये।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (३०) एज़ अमेंडेड स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (३०), एज़ अमेंडेड, स्वीकृत हुआ।

उप खण्ड (३१)

सब क्लॉज़ (३१), श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्री.दास गोयल—Mr. Chairman, Sir, Mr. Shyamlal Goyal has just sent me an authority letter saying that due to some reasons he is not in a position to come here- a similar letter has been addressed to the Secretary of this House—and he has authorised me to move his amendments. As such am I allowed to move his amendment ?

श्री सभापति—ऐसी इजाजत देना वाज़िब खयाल नहीं किया जाता।

श्री वेदपाल त्यागी—रूलिंग भी हो चुका है कि हाउस में कोई ऐसा नहीं कर सकता।

श्री सभापति—क्योंकि श्री श्यामलाल गोयल, जिन्होंने यह अमेंडमेंट रखा है और वे यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिये उनका संशोधन न लिया जाकर सीधा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यह है कि यह सब क्लॉज़ (३१) स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

सब क्लॉज़ (३१) स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

उप खण्ड (३२)

सब क्लॉज़ (३२) पर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है । प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (३२) स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (३२) स्वीकृत हुआ ।

उप खण्ड (३३) से (३९)

सब क्लॉजेज़ (३३) से (३९)

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉजेज़ (३३), (३४), (३५), (३६), (३७), व (३८) और (३९) स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ के सब क्लॉजेज़ (३३), (३४), (३५), (३६), (३७), (३८) और (३९) स्वीकृत हुए ।

उप खण्ड (४०)

सब क्लॉज़ (४०), श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, इसमें मैंने जो तरमीम पेश की है वह यह है कि "or from groue holder or village servant" हटा दिये जांय ।

यह सब क्लॉज़ इस प्रकार है :

" 'Sub-tenant' shall mean a person who holds land from the tenant thereof o from grove-holder or a village servant........"

Page No.55

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

यहां ग्रोवहोल्डर और विलेज़ सरवेंट दोनों को हटा देना चाहिये क्योंकि लैंड होल्डर की परिभाषा में हमने इन दोनों को हटा दिया है। जब वह लैंड होल्डर नहीं रहेंगे तो सब टिनेन्ट कैसे रहेंगे ? अब यह इस प्रकार हो जायगा।

"Sub—tenant shall mean a person who holds land from the tenant thereof and by whom rent is, or butfor a contract..."

श्री सभापति—वह तो ब्रेकेट में आ गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने तो ग्रोवहोल्डर और विलेज सरवेंट को हटाने के लिये अमेंडमेंट रखा है, यह तो होना चाहिये। "or a rent-free grantee or a grantee at a favourable rate of rent should be retained.

श्री सभापति—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है:

"The committee consider that it would be unfair to include persons holding lands from rent-free grantee or grantees at a favourable rate of rent..."

सिलेक्ट कमेटी ने इसको रिकमेंड नहीं किया है।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, अगर सदन की इजाजत हो तो इसको इस तरह भी रखा जा सकता है: " 'Sub—tenant' shall mean a person who holds land from any landholder or a tenant thereof and by whom rent is, or but for a contract express or implied, would be payable."

लैंड होल्डर को अगर हम यहां इनक्लूड कर लेंगे तो सारे के सारे व्यक्ति जो इसकी परिभाषा में आ गये हैं वे इसमें नहीं रहेंगे। लैंड होल्डर सब टिनेन्ट रख सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं श्री बृजसुन्दरजी ने जो इस बारे में...

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, वैसे तो मेरा अमेंडमेंट मूव हो चुका है 'विलेज सरवेंट' को हटाने के बारे में। पर चूंकि संशोधन मेरे मित्र महोदय ने रखा है और उसे स्वीकार किया जा रहा है तो ऐसी सूरत में कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट दे देना चाहिये, नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक रह जावेगी:

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Sub-tenant shall mean a person who holds land from the tenant thereof"; 'or from' के बाद की सारी चीज हटा दी गई तो वहां 'और' शब्द है वह रिडेम्डेन्ट है, वह भी डिलीट हो जाना चाहिये क्योंकि आपने ग्रोव होल्डर को और विलेज़ सरवेन्ट को हटा दिया तो 'और फ्रोम' किसके लिये रहेगा ? इसलिये यह अमेंडमेंट इसे रिमूव करने के लिये रखा है।

श्री मोहनलाल सखाड़िया—मैं बृजसुन्दरजी के अमेंडमेंट को और मेरे परम मित्र श्री एच. के. व्यास के अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं।

(हंसी)

श्री जवानसिंह—ख्याल है कि मेरा अमेंडमेंट तो स्वीकार हो गया है, क्योंकि उसका श्री बृजसुन्दरजी के अमेंडमेंट में समावेश हो जाता है।

इस वक्त एक खुलासा श्री बृजसुन्दरजी से जो मांगता हूं वह यह है कि इस क्लॉज़ के सब सेक्शन २६ से ग्रोवहोल्डर और विलेज़ होल्डर को निकाल दिया, टिनेन्ट की डेफिनिशन में से इनको हटा दिया और सब टिनेन्ट की डेफिनिशन में से ग्रोवहोल्डर और सब टिनेन्ट को हटाने की उनकी तजवीज है ; इन तीनों जगहों से विलेज़ सरवेंट को हटा दिया जायगा तो यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौनसी तारीफ में मानते हैं गोवहोल्डर को और विलेज़ सरवेंट को ?

श्री सभापति—इसकी सही डेफीनिशन क्या है ? What is the accepted definition of a Sub-tenant ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपकी इजाजत से मैं बता दूं। टीनेन्ट की परिभाषा में प्रोपराइटरों को नहीं रखा है :

"4 (42) : 'Tenant' shall mean......... a sub-tenant or a mortgagee of tenancy rights but shall not include a grove-holder, a rent-free grantee, a grantee at a favourable rate of rent, a village servant, etc..............

यह 'टीनेन्ट' की परिभाषा में भी दिया है। इससे इसमें कोई विरोधाभास नहीं होता है।

श्री जवानसिंह—कौनसी तारीफ में आवेगा ; 'Grove holders or village servant.'

श्री बृजसुन्दर शर्मा—'ग्रोव होल्डर' की परिभाषा अलग है और विलेज़ सरवेन्ट्स के राइट्स.........

(अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री सभापति—सब टीनेन्ट की डेफिनिशन किस तरह से बनेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं समझता हूँ कि इसकी डेफिनेशन इस तरह से बन जावेगी :

" 'Sub-tenant' shall mean a person who holds land from the tenant thereof and by whom rent is, or but for a contract express or implied would be, payable.

श्री सभापति—विलेज़ सरवेन्ट व ग्रोव होल्डर सब इससे डेल्ट हो जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दोनों साहिबानों का यही मतलब है।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (४०) में सब टीनेन्ट की डेफिनिशन में श्री बृजसुन्दर शर्मा और श्री एच. के. व्यास के एमेंडमेंट हैं वे मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिये। क्या हाउस की अनुमति है कि वे स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकृत हुए।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४०), एज़ एमेंडेड, स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४०), एज़ एमेण्डेड, स्वीकृत हुआ।

उप खण्ड (४१)

सब क्लॉज़ ४१ पर कोई एमेंडमेंट नहीं है, इसलिये क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

सब क्लॉज़ (४१) स्वीकृत हुआ।

उप खण्ड (४२)

सब क्लॉज़ (४२), श्री बृजसुंदर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेअरमेन, मेरा 'टीनेण्ट' की डेफिनिशन में कौनसी—क्वेंसल एमेंडमेंट है ; "a grove holder" तथा "a village servant" को डिलीट करने का है। यह सब क्लॉज़ इस प्रकार है :

" 'TENANT' shall mean the person by whom rent is, or but for a contract, express or implied, would be payable and except when the contrary intention appears, include a co-tenant of Khudkasht or a sub-tenant or a mortgagee of tenancy rights but shall not include a grove-holder, a rent-free grantee, grantee at a favourable rate of rent, a village servant..............."

इसमें से मैंने 'ग्रोव होल्डर' और 'विलेज सरवेन्ट' को रिमूव करने के लिए कहा है।

श्री वेदपाल त्यागी—"Shall not include" से क्या मतलब है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—खाली इन्फोरमल चीज़ थी इसलिए मैंने ऐसा किया है।

श्री जवान सिंह—माननीय चेयरमेन, श्री बृजसुन्दर जी ने जो एमेन्डमेंट पेश किया उसका क्या होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—विदड्रा कर लिया।

(अनोपचारिक चर्चायें)

श्री भीमसिंह—संशोधन इस प्रकार है। "In line 5, words 'but shall not include' occuring after the words 'rights' be deleted and inserted after the words 'a grove holder' and before the words 'rent free grantee' in the same line"

माननीय चेअरमेन, मैंने जो एमेंडमेन्ट मूव किया है वह इस सिलसिले में किया है कि जो डेफिनिशन 'टीनेन्ट की' है उसमें 'ग्रोव होल्डर' को एक्सक्ल्यूड किया है। इसके बारे में अगर माननीय मंत्री ने मुलाहिजा किया हो तो मालूम होगा कि 'ग्रोव होल्डर' को टीनेन्ट के ब-मुकाबले लगान में कोई रियायत नहीं है। ऐसी हालत में उसको टीनेन्ट की डेफीनिशन में नहीं रखना नावाजिब है। इस सम्बन्ध में मैंने अपना एक एमेन्डमेंट पेश किया था मगर उसके शब्दों में कुछ फर्क रह गया था। इसलिए मैंने चार रोज पहले दूसरे एमेंडमेंट के लिए सेक्रेटरी को अर्जी दे दी थी। अब मेरा एमेन्डमेंट इस तरह से स्टेन्ड करता है ;

[श्री भीमसिंह]

"In line 5 'but shall not include' occurring after the word 'rights' be deleted and inserted after the words 'groveholder' and retain the words 'a rent-free' grantee in the same line."

इस एमेन्डमेंट से "ग्रोवहोल्डर" टीनेन्ट की डेफिनिशन में आ जाता है और टीनेन्ट को जितनी सुविधाएँ होंगी उतनी ही ग्रोवहोल्डर को भी होंगी। मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान जिसको रेगिस्तान कहा जाता है इसमें इसकी जरूरत है और यह प्रान्त और देश के लिए हितकर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रोव होल्डर को टीनेन्ट की डेफिनिशन में रखा जावे और बाकी दूसरे रहें या न रहें मगर ग्रोव होल्डर तो रहना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमैन, मेरा तो साधारण सा एमेन्डमेंट इस पर है। 'Inceude' के पहले shall लगाने का है तीसरी लाइन में। फिर यह सब क्लाज इस प्रकार हो जायगा:

"TENANT shall mean the person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be, payable and, except when the contrary intention appears shall include a co—tenant or a tenant of........."

"Shall" वर्ड रह गया है। यह जरूरी वर्ड है, जिससे लैंग्वेज ठीक हो जाती है। यह "Shall include" होना चाहिये :

'TENANT' shall mean the person by whom rent is, or, but for a contract express or implied, would be, payable and, except when the contrary intention appears shall include a co-tenant or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant or a mortgagee of tenancy rights but shall not include a.........

तो यह "shall" वर्ड रह गया है। यह 'शेल' वर्ड सभी एक्टों में हैं और हमारे यहां के जयपुर टीनेन्सी एक्ट में भी यह 'शैल' शब्द है। इसलिए माननीय मंत्री इसको मंजूर करेंगे और इसको मंजूर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेअरमेन, यद्यपि इस डेफिनिशन के लिए मैंने कोई फोर्मल एमेन्डमेंट मूव नहीं किया है लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आ रहा है। इसमें 'मोर्टगेज ऑफ टीनेन्सी राइट्स' लिखा है। मोर्टगेज कई तरह के होते हैं। इसलिए मुझे जो खतरा नजर आता है वह यह है कि लोग मोर्टगेज लेकर जमीन काश्त करावेंगे और खुद काश्त नहीं करते हैं। इसलिए अगर इसको मंजूर कर लिया जाता है तो जितने भी टीनेन्ट के हकूक हैं उनके काबिल बन जाते हैं। इसलिए यह मोर्टगेज का शब्द है इसके बजाय 'मोर्टगेज इन पजेशन' हो। मोर्टगेज के बाद

[श्री वेदपाल त्यागी]

'इन पजेशन' शब्द एड कर दिये जावें तो मैं समझता हूँ कि काफी हित होगा और माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करलें तो इसमें 'टीनेन्ट' की परिभाषा टीक हो जावेगी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन साहब, जो आपत्ति श्री त्यागीजी ने उठाई है वह मेरे खयाल से सही नहीं है क्योंकि मार्टगेजी के अलावा कोई मार्टगेजी होगा तो उसके राइट्स नहीं होंगे। सिम्पल मार्टगेजी है, जो मोर्टगेजर है वही उसके पजेशन में है। जो भी राइट्स हैं वे सब मोर्टगेजर के पास हैं चाहे वह सिम्पल हो। जब जमीन ट्रान्सफर होगी तो जो राइट्स मोर्टगेजर को हैं वे भी ट्रान्सफर होंगे। असली जमीन मोर्टगेजर के पास कब्जे में है, पेरा फरनालिया आदि भी मोर्टगेजर के पास हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि मोर्टगेजी इन पजेशन की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं, केवल मोर्टगेजी से ही काम चल सकता है।

श्री वेदपाल त्यागी—What is the difficulty in adding these words ? कॉम्प्लीकेशन्स ये पैदा होंगे कि, suppose there is a simple mortgagee. He would say and claim rights of a tenant. He says that since he is a mortgagee, he comes within the definition of the word 'tenant' and therefore he will claim those rights.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—How can he claim ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, श्री त्यागीजी ने जो डिफिकल्टी बताई है वह दरअसल पैदा होती है। मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे एलिमिनेट (eliminate) करते हैं ? 'टिनेन्ट्स' की परिभाषा में यह दर्ज है कि it shall include a mortgagee of tenancy rights. It may include a simple one.

तो यहां मोर्टगेज शब्द का कुछ भी सम्बन्ध निकाला जा सकता है। पजेशन काश्तकार के पास है और सिम्पल मोर्टगेजी सेटलमेन्ट ऑफिस को एप्लाई करता है;

I am the mortgagee-- a simple mortgagee and according to this definition I become a tenant because I am included in the definition of the word 'tenant.' How could this be contested ?

तो इसलिये यह जरूरी है इसमें रखना। जब हम 'मोर्टगेजी' इन पजेशन के राइट्स रखना चाहते हैं तो इसको इसमे फिट इन कर दिया जाना चाहिये। नहीं तो इतना कॉम्प्लीकेशन तो जरूर होगा कि सिम्पल मोर्टगेजी अपोज करेगा तो how would you resist his claim ?

Page No.61

श्री जवानसिंह—मुझे यह निवेदन करना है कि यहां मोर्टगेजी को टिनेन्सी राइट्स हैं और जब टिनेन्सी राइट्स का उपभोग मोर्टगेजी कर रहा है तो उसके साथ पजेशन अपने आप चला जाता है और यह प्रश्न नहीं रहता है कि उसके बाद उसके राइट्स को किस तरह से डिसाइड किया जायगा। आज भी वही पोजिशन होगी, जो कि आगे होगी। अतः मेरा निवेदन करना है कि जो क्लॉज यहां रखी गई है वह ठीक है और उसका मतलब उस वक्त भी वही होगा जो कि इस वक्त इसका मतलब यहां निकलता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, इस एक्ट के जरिये वास्तव में जो फायदा मिलता है और जो मिला है वह उन्हीं को मिलता है कि जो एक्चुअली टिनेन्ट है, जो एक्चुअली जमीन के पजेशन में होते हैं। 'मोर्टगेजी ऑफ टिनेन्सी राइट्स' का जहां तक फायदा क्लेम करने का ताल्लुक है वह तब ही करेगा जब जमीन उसके कब्जे में होगी। अगर इसमें 'मोर्टगेजी इन पजेशन' बढा दें तो इससे मोर्टगेजी मोर्टगेजी में डिफरेन्स जरूर आ जायगा। खाली मोर्टगेजी रखने में कोई हर्ज नहीं है और मोर्टगेजी इन पजेशन आ जाता है तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। मोर्टगेजी इन पजेशन होगा तब ही फायदा मिलेगा। मैं समझता हूं कि इसको रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। If there is any mortgagee who is in possession of land then only he will be entitled to the benefit of a tenant.

एक्चुअली तो फायदा उसी को होगा जो मोर्टगेजी इन पजेशन में होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—यह कानूनी बहस आपस के अन्दर स्पष्ट हो चुकी है और इसमें रद्दोबदली करना, जैसा कि वेदपालजी त्यागी ने कहा, मैं आवश्यक नहीं अनुभव करता हूं और जैसी डेफिनिशन है उसको मैं श्री बृजसुन्दरजी के अमेन्डमेन्ट के साथ स्वीकार करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन भी उसको स्वीकार करेगा।

('बृजसुन्दरजी का कौनसा अमेन्डमेन्ट' इस प्रकार की आवाज)

श्री सभापति—बृजसुन्दरजी का कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री सुखाड़िया—यह जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बृजसुन्दरजी का नाम सुनते ही स्वीकार करना पड़ता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका भी एक अमेन्डमेन्ड स्वीकार किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके लिए बहुत २ धन्यवाद।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कभी कभी गलती हो जाती है।

श्री सभापति—इसका जवाब देना बाकी है।

Page No.62

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक नहीं है और जोड़ दिया जाय तो भी कोई एतराज नहीं है। इससे भी परपज पूरा होजाता है और 'शैल' जोड़ देने से भी; then it should be "shall include."

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बगैर 'एन्ड' के तो कम्प्लीट नहीं होता।

श्री श्रीदास गोयल— मैं यह आज्ञा चाहूंगा कि मुझे मेरा अमेन्डमैंन्ट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति—तो आप (श्री राजस्व मन्त्री) इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(राजस्व मन्त्री) मंजूर करता हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि इस सब क्लॉज़ की तीसरी लाइन में शब्द 'and shall' ज़ोड़ दिये जावें।

(स्वीकृत)

इस उपधारा की तृतीय लाइन में 'include' के पहले शब्द 'and shall' जोड़े गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री त्यागीजी के अमेन्डमेन्ट का क्या हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो अमेन्डमेन्ट नहीं था, केवल सजेशन था।

श्री भीमसिंह—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति—श्री भीमसिंहजी अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करना चाहते हैं। क्या सदन की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री भीमसिंह—मैं मेरा अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री श्रीदासजी गोयल का अमेन्डमेन्ट है कि लाइन तीन में 'एन्ड शेल' शब्द जोड़ दिये जांय। क्या यह संशोधन सदन को स्वीकार है?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति—अब श्री बृजसुन्दरजी शर्मा का अमेन्डमेन्ट है। क्या सदन उन्हें वापिस लेने की अनुमति देता है?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—क्लॉज ४ का सब क्लॉज (४२) एज अमेन्डेड...

श्री हरिकृष्ण व्यास—त्यागीजी के अमेन्डमेन्ट को वोट पर नहीं लिया गया।

श्री सभापति—कोई अमेन्डमेंट नहीं था, वह तो सजेशन था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—It was a formal amendment moved and unless some member objects, amendment could be moved even at the last moment without notice.

जब मूव हुआ तो या तो उसको एक्सेप्ट किया जाये या उसको विद्ड्रा करवाया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have already had my say.

श्री सभापति—(श्री त्यागी से) क्या आप उसको प्रेस करना चाहते हैं?

श्री वेदपाल त्यागी—I beg leave to withdraw.

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि उनको विद्ड्रा करने दिया जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री वेदपाल त्यागी—I withdraw it.

श्री सभापति—अब प्रश्न यह है कि उप खण्ड (४२) स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज (४२) स्वीकृत हुआ।

उप खण्ड (४३)

सब क्लॉज़ (४३), श्री शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, इस अमेन्डमेन्ट के जरिये मेरी मन्शा यह है कि इसमें ट्रेसपासर की डेफिनिशन को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है; ट्रेस पासर को क्रिमिनल लॉ में डिफाइन किया हुआ है, इसके लिये इस एक्ट में जो मन्शा रखी गई है:

"Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land without authority..."

"Unoccupied land without authority", यह सेन्स नहीं। जैसी कि शब्द 'ट्रेस-पासर' की डेफिनिशन है आई. पी. सी. में उसके अलावा यह इन्क्लूड करने का जो है वह यह होना चाहिये कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी जमीन पर खेती करने से रोके। इस डेफिनिशन के रहते हुए इसमें शब्द "who takes or retains possession of unoccupied land without authority or" डिलीट हो जायेंगे तब फिर यह इस प्रकार पढ़ा जायगा।

" 'Trespasser' shall include a person who prevents another person from occupying land duly let out to him or does not deliver possession of any land to another person, who, according to the provisions of this Act, is entitled for the time being to such possession;"

जो इस एक्ट के जरिये मन्शा है वह पूरी हो जायगी। बाकी जो डेफिनिशन ऑर्डिनरी है वह तो है ही। वह डेफिनिशन कायम रखते हुए यह इन्क्लूड करना चाहिये और ये शब्द रिमूव कर देने चाहिये। "who takes or retains.........without authority or" ये शब्द उड़ा देने चाहिये। उसके बाद यह क्लॉज़ इस तरह से रीड करना चाहिये;

" Trespasser" shall include a person who prevents another person from occupying land," etc. etc.

(११. ५ पर श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी अमेन्डमेन्ट इस सिलसिले में है। जहां तक बृजसुन्दरजी के अमेन्डमेन्ट का ताल्लुक है मैं उसके विरोध में दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं। इसके लिये क्लॉज़ १३३ मुलाहिजा फरमाया जाय। सब क्लॉज़ ४३ में जो डेफिनिशन दी गई है उससे कोई मुगालता नहीं रहता। लेन्ड्स तीन प्रकार की होती हैं; कुछ लेन्ड तो गवर्नमेन्ट लेन्ड होती है, एक पाश्चर लेन्ड होती है और तीसरी होती है ओक्युपाइड लेन्ड; उन पर कोई भी शख्स बिना टीनेन्ट की आथोरिटी के, बिना इजाजत के काश्त कर लेता है तो उसे इजेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि अनऑक्यूपाइड लेन्ड पर ट्रेसपासर होने का सवाल ही नहीं। मेरे इस एक्स्प्लेनेशन से साफ हो जाता है "'Trespasser' shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land without authority"

अगर टीनेन्ट किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट की ऑथोरिटी ले नहीं और जो लेन्ड ओक्युपाइड लेन्ड नहीं, जिसे अनऑक्यूपाइड लेन्ड या चक शामलात कहा जा रहा है सिवाय इसके that is Government property. कोई भी आदमी बिना इजाजत के काश्त कर लेता है, उसको इजेक्ट किया जायगा तो ऐसी हालत में श्री बृजसुन्दरजी ने जो अमेंडमेंट रखे हैं वे एक प्रकार से रिडन्डेन्ट हो जाते हैं :

मैंने भी इस क्लॉज़ में दो अमेंडमेंट पेश किये हैं। एक तो मैंने पेश किया है डेफिनिशन में। डेफिनिशन में तीन तरह की लेन्ड मानी गई है ऑक्युपाइड लेन्ड, अनऑक्युपाइड लेन्ड और पाश्चर लेन्ड। जहां तक अनऑक्युपाइड लेन्ड का प्रश्न है उसमें ट्रेसपासर के लिये कुछ आगाह है। ओक्युपाइड लेन्ड के सिलसिले में यह है :

"who prevents another person from occupying land duly let out to him or does not deliver possesrion of any land to another person who, according to the provisions of this Act, is entitled for the time being to such possession."

इसके लिए जो प्रोवीजन है इसमें आ गया है "about the person who are in occupation of land" लेकिन कोई पाश्चर लेन्ड है उसके सिलसिले में जिक्र नहीं आया है। ऐसी बहुत सी लेन्ड्स हैं जिनको सेटलमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पास्चर लेन्ड घोषित कर दिया हैं जो मवेशियों के चराने के लिए रखी जाती। उस पर भी काश्तकार लोग ज्यादा खेती हो इस वजह से उस जमीन पर भी खेती करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से अनऑक्युपाइड लेन्ड पर ट्रेसपास करता है तो उसको ३३० की धारा के मुताबिक इजेक्ट किया जा सकता हैं। इस पर किसका राइटफुल क्लेम होगा ट्रेस पासर का होगा या किसका होगा, यह उल्लेख होना जरूरी है। इसलिए मैंने ये शब्द एड किए हैं :

"Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied or pasture land..."

[श्री श्रीदास गोयल]

पाश्चर लेन्ड है इसको मैंने एड करने के लिए प्रार्थना की है।

दूसरा अमेन्डमेन्ट मेरा है वह यह है कि जो लेन्ड किसी के कब्जे में है नाजायज तौर पर उसमें........

"who prevents another person from occupying land duly let out to him."

प्रीवेन्ट करे दूसरे शख्श को। "or does not deliver possession of any land to another person"

तीसरा है... "dispossesses any person lawfully in possession thereof".

यह जो है 'ड्यूली लेट आउट टू हिम' इसके आगे मैंने यह एडीशन चाहा है......
"or dispossesses another person lawfully in possession of land"

ऐसे बहुत से केसेज़ आ जाते हैं जिनमें एक आदमी प्रीवेन्ट करता है, किसी दूसरे आदमी को पजेशन डिलीवर नहीं करता, टानेन्ट को डिसपसेज़ कर देता है। तो ऐसी हालत में उसके सामने क्या रास्ता रहता है ? अदालत उसे राहत नहीं पहुँचा सकती।

श्री वेदपाल त्यागी—वह तो क्रिमिनल ट्रेसपासर रह जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—(जारी) कुछ मेरे मित्रों ने यह कहा कि क्रिमिनल ट्रेसपासर हो जाता है इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि जब हम किसी एक्ट को बनाने जा रहे हैं तो वह एक्ट खुद में बड़ा एग्ज़ॉस्टिव होना चाहिये, किसी भी पहलू से उसमें खामी नहीं होनी चाहिये। Apart from this अगर किसी तहसीलदार या असिस्टेन्ट कलेक्टर या किसी रेवेन्यू अफसर द्वारा यदि ऐसा व्यक्ति डिस्पजेस कर दिया जाता है तो डिस्पजेस करने के विरोध में कोई इजेक्ट करने अन्डर दिस एक्ट कोई प्रोवीजन नहीं है, कोई अधिकार प्राप्त है नहीं। इसके पेनेल्टी क्लाज हैं ऐसे आदमियों के खिलाफ। पहले क्लाज के साथ इजेक्ट करने का प्रश्न है वह समस्या उसी प्रकार बनी रहती है। ऐसी हालत में "or dispossesses any person lawfully in possession of land" अगर नहीं आता तो बदस्तू कायम रह जाता है। ऐसी हालत में हमें इस एक्ट को पूरा एग्जॉस्टेव बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें वे शब्द एड कर दिये जांय।

इस तरह से जो मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको स्वीकार किया जाय।

Page No.67

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, ट्रेसपासर की डेफीनिशन मेरे मित्र श्री श्रीदासजी ने जो बातें बताई उनका ध्यान में क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (२७) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसमें ऑकुपाइड लैण्ड की परिभाषा में पाश्चर लैण्ड भी शामिल कर लिया गया है और मेरे ख्याल से यह मालूम होने के बाद एक अमेंडमेंट तो वे वापिस ले लेंगे। क्लॉज़ ४ की सब क्लॉज़ (२७) में ऑकुपाइड लैण्ड की डेफिनिशन यह है :

"'occupied land' shall mean land which for the time beiug has been let out to, and is in the occupation of a tenant, and includes Khudkasht"

and

"'pasture land' means an aiea wnich is not occupied"

इसलिये......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें 'पाश्चर' शब्द कहां है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—'अनऑकुपाइड' ओमिट कराया है और 'पाश्चर' लिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—किसने कराया है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह नहीं मालूम है।

तो इस परिस्थिति में "'Trespasser' shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him or does not deliver possession of any land to another person who, according to the provisions of this Act is entitled for the time being to such possession"

श्री श्रीदास गोयल—नहीं हुआ ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कोई बात नहीं है।

"'Trespasser' shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land without thority or who prevents another person from occupying land duly let out to him or..............to such possession" और उस सूरत में भी यह ट्रेसपासर की डेफिनेशन एग्ज़ॉस्टिव है। वह कहते हैं : We have got two types of land; one occupied and another unoccupied.

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

Now trespasser shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land.

तो अगर हम यह मानें कि यह लैंड ऑक्युपाइड नहीं है और अनऑक्युपाइड है तो कोई भी शख्स अनऑकुपाइड लैंड पर कब्जा रखता है तो पाश्चर लैंड भी उसमें शामिल हो जाता है और कोन्सीक्वेन्टली ट्रेसपासर है और इसमें आपकी डिफिकल्टी कवर हो जाती है।

दूसरे मेरे लायक दोस्त ने एक बड़ी स्ट्रेन्ज डिफिकल्टी बताई। आपने कहा डिसपजेस कर दें तो वह एड कर दिया जावे, जब कि उसमें यह लिखा है कि 'or who prevents from occupied land duly let out to him.........."

अगर किसी शख्स ने किसी को डिसपजेस कर दिया है then it clearly means that he is a trespasser. यह एक्ट यह प्रोवाइड कर रहा है। सिम्पल पजेशन को रेस्टोर नहीं कर रहा है इसलिये डेफिनिशन अपने आप एग्जॉस्टिव है।

जो डिफिकल्टी अराइज़ होती है वह इस जगह होती है "and does not deliver possession of any land to another person who, according to the provisions of this Act, is entiteed for the time being to such possession."

तो क्या हम जिसको कि टेक्नीकली टीनेन्सी होल्डर या ओनर कहते हैं एक काश्तकार को अगर हम १२ महीने काश्त के लिए जमीन देते हैं और वह लैंड होल्डर को वह पजेशन १२ महीने बाद वापिस नहीं करता है तो बारह महीने के दूसरे दिन ट्रेसपासर बनने जा रहा हैं ? तो भी हम इसको एड करेंगे। अगर हमारी यह मंशा है कि—

"or does not deliver possession of any land to another person who, according to the provisions of this Act, is entitled for the time being to such possession;"

वह लैण्ड होल्डर जो है फिक्स्ड पीरियड के बाद कब्जा वापिस लेने का मुश्तहक है क्योंकि उसकी टर्म सिर्फ १२ महीने की है। इसके बाद टीनेन्ट या सब टीनेन्ट को, लैण्ड होल्डर को कब्जा वापिस देना चाहिये। उसको इन्कार करने पर इस डेफीनिशन के अनुसार लैण्ड होल्डर को या ओनर को उससे लेने की कार्यवाही करनी चाहिये और अगर वह भी देने से इन्कार करता है तो इस डेफीनिशन के मुताबिक दोनों लैण्ड होल्डर भी और टीनेन्ट भी या सब टीनेन्ट जिसको वह जमीन साल भर के लिए दी गई थी दोनों ट्रेसपासर हो जाते हैं। तो मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय का इससे क्या आशय है? क्या माननीय मन्त्री महोदय का यह आशय है कि जो काश्तकार अपनी शर्त के खिलाफ अपनी जमीन को रिटेन करता है या काश्त

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

करता है तो क्या वह ट्रैस पासर है और क्या इस सूरत में हम उसे ट्रैस पासर मानने को तैयार हैं? क्योंकि जहां इजेक्टमैन्ट का प्रोवीजन है आगे सब टीनेन्ट और टीनेन्ट को इजेक्ट करने के अलग-अलग प्रोवीजन है और ट्रैसपासर्स का स्पष्टीकरण है। तो क्या हम इस स्थिति में हैं कि जो ऐसे लोगों को फिक्स्ड पीरियड के बाद उसे रिन्यू नहीं कराता है अपने लिएन को तो क्या उसको भी ट्रैसपासर मानेंगे ? इसका स्पष्टीकरण माननीय मन्त्रीजी करें। बाकी डेफिनिशन जैसी है वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—मैं अपना अमैन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो लास्ट सैन्टेन्स है उसमें "who according to the provisions of this Act is entitled for the time being to such possession" के बजाय अगर यह कर दिया जावे कि—

"who according to the provisions of this Act has been ordered to be given such possession"

तो यह डिफिकल्टी, जो श्री कपिलदेवजी ने बताई है वह ठीक हो जावेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं समझता हूँ कि हम बहुत लिबरल होते जा रहे हैं। लिखकर तो दें आप इसे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी देता हूँ साहब राइटिंग में।

श्री अध्यक्ष—बहुत बाद में सूझा है आपको।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपको कैसे पता चल गया साहब ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा में भी मानता हूँ इसलिये कि सब क्लॉज़ (२७) ऑफ क्लॉज़ ४ में ऑकुपाइड लैण्ड की परिभाषा कर दी गई है। इसमें "पाश्चर लैण्ड" इन्क्लूड नहीं किया है और "अनऑकुपाइड लैण्ड" का मतलब है "which is not occupied."

तो Pasture land automatically becomes unoccupied land.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिए बड़ी भारी डिफिकल्टी आ रही थी । वह इस संशोधन के बाद अब नहीं आनी चाहिये ।

दरअसल इस पूरी सैक्शन में मुद्दे की बात कही है तो वह कही है मेरे नीम के थाने से आने वाले श्री कपिलदेवजी ने और वह यह है कि सब टीनेन्ट को या टीनेन्ट को टेम्परेरी लीज़ के तौर पर या मियादी तौर पर जमीन काश्त करने को दी जावे और इसके बाद अगर टीनेन्ट या एस्टेट होल्डर वापिस पजेशन लेने की कार्यवाही न करें तो कुछ कॉन्सीक्वेन्सेज़ पैदा होंगे, ऐसा आगे एड किया है । इसके अनुसार यह है कि अमुक-अमुक समय तक वापिस पजेशन लेने की कार्यवाही दोनों में से कोई न करे तो यह समझा जावेगा कि लैण्ड होल्डर ने तो अपना राइट वेव कर दिया है और वापिस टीनेन्ट या सब टीनेन्ट को एप्रूव हो जावेगा । दूसरी ओर हम इस परिभाषा में लिखते हैं कि अपनी मियाद के बाद उसका पजेशन दिया जाना चाहिये और वह पजेशन कोई न दे तो वह ट्रैसपासर है । एक तरफ तो पजेशन लेने का बोझा ओनर पर डाल दिया गया है जो लैट आउट करता है और दूसरी तरफ पजेशन देने का बोझा उस पर भी डाला गया है जिसको कि लैट आउट किया गया है। ऐसी स्थिति में यह सैल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है । इसलिये यह जो है इसमें संशोधन होना आवश्यक है । इस वजह से आवश्यक है मेरा यह संशोधन कि नहीं तो एक ही काम से लिए दो आदमियों को जुर्म करार कर दिया गया है । पजेशन लेने की कार्यवाही नहीं करने से खातेदार टीनेन्ट अथवा कोई भी लैण्ड होल्डर या खुदकाश्त हो उन पर बन्धन डाल दिया गया है कि तुमने पजेशन लेने की कार्यवाही नहीं की इसलिए this is the consequence that follows. पर दूसरी तरफ पजेसन देने का जिम्मा डाला गया है जिसको सब लैट किया गया है उस पर । अगर तुमने पजेशन नहीं दिया तो यु विल बिकम ए ट्रैसपासर (you will become a trespasser) तो इसलिये इसे हमें बदलना पड़ेगा । दोनों चीजें साथ-साथ नहीं रहनी चाहिये । इसलिये मेरा यह अमेन्डमेन्ट है । मैं इसे लिखकर दे रहा हूँ ।

"who according to the provisions of this Act has been ordered to be placed in such possession."

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूँ कि पास्चर लेन्ड वाली बहस के बारे में कुछ स्पष्ट हो ही गया क्योंकि अनऑकुपाइड लेन्ड का इसमें जिक्र किया गया है । पास्चर लेन्ड का समावेश उसमें हो जायगा । इससे अलग से उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अब अभी शंका हुई पिछली लाइन के बारे में। लास्ट लाइन के बारे में जिक्र किया गया है "who, according to the provisions of this Act is entitled for the time being to such possession;"

अब उसको जिस प्रकार से दी गई है उसी प्रकार से रखना उपयुक्त मालूम होता है। कभी हो सकता है कि इसमें सबलेटिंग अलाउ किया है तो एक डेफिनिट पीरियड के बाद उसको उसकी जमीन लेने का हक हो सकता है; जो कि सबलेट की हुई है उसे भी हो सकता है। उसी प्रकार यहां भी किसी भी जमीन का कब्जा किया है; गलत कब्जा करने का ऑर्डर दिया जाय तो वह उसका कब्जा जैसा कि आर. पी. टी. ओ. में है उसी प्रकार से कब्जा मांगने के लिये दिया गया है, Under the provisions of this Act wrongful possession किसी दूसरे का हो तो इसके अन्दर ऑर्डर दिया जा सकता है। इसी में प्रोवीज़न लेने के राइट का ऑर्डर देकर पजेशन दिलाया जा सकता है, यह गुंजाइश है। इस सेन्टेन्स से मुगालता नहीं होता है। यह तो साफ है कि, "According to the provisions of this Act, is entitled for the time being to such possession."

उसको पजेशन मिल सकता है। इसे परिभाषा में रखने से कोई मुगालते की गुंजाइश नहीं मालूम होती है बल्कि वे प्रोवीजन्स इसमें आ जायेंगे।

फिर भी जो अभी एमेन्डमेन्ट श्री एच० के० व्यास ने दिया है कि इस तरह से सारा उसका इन्क्लूज़न होगा वह सारा उनकी समझ में आ जायेगा। यह देख लें कि वह कहां पर फिट इन किया जा सके।

जो एमेन्डमेन्ट दिये हैं, मैं समझता हूँ कि दूसरे डेफिनिशन के साथ लेंगे तो इस कमी को एक्ज़ामिन करके देख लेंगे कि इसके साथ फिट इन हो सकता है या नहीं। तब फाइनली डिसाइड करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष— अभी इसको पोस्टपोन करते हैं।

उप खण्ड (४४)

सब क्लॉज़ (४४), श्री एच० के० व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एमेन्डमेन्ट बहुत सिम्पल है सब क्लॉज़ (४४) में। जब 'विलेज़ सर्वेन्ट' आपने हटा दिया है तो 'विलेज़ सर्विस ग्रान्ट' के लिये वह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

विशेष प्रकार की जो सब क्लॉज़ (४४) है उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको डिलीट कर दिया जाय, ऐसा मेरा संशोधन है। मेरा खयाल है कि इसको मन्जूर किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्षजी, पहले 'विलेज़ सर्विस' से ताल्लुक रखने वाला विलेज़ सर्वेन्ट को शामिल नहीं किया और सब टिनेन्ट और टिनेन्ट को शामिल नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि 'विलेज़ सर्विस ग्रान्ट' की इस सब क्लॉज़ को डिलीट कर दें, क्योंकि 'विलेज़ सर्विस ग्रान्ट' अब आवश्यक नहीं है, लेकिन पुराने जमाने से विलेज़ सर्विस ग्रान्ट चली आती है उनका कहीं रेफरेन्स आयेगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकाला जा सकेगा। कोई पुराने जमाने में पटेल या और कोई गांव के व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए विलेज़ सर्विस के लिए वह ग्रान्ट दी हुई है। उनका रेफरेन्स आयेगा कहीं, आयेगा जरूर उनके ताल्लुक में, तो उनसे क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। इसलिये इससे वह मतलब निकलेगा और इस परिभाषा में उस वक्त उसका मतलब निकलेगा। इसलिये बिल्कुल ओमिट करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। यह रहना चाहिए, क्योंकि पुरानी ग्रान्ट्स जो हैं उनके बारे में इसका रहना जरुरी है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूँ कि जैसा कि इस बिल को देखने से मालूम होगा कि आगे १४३, १४४ व १४५ क्लॉज़ेज़ में विलेज सर्विस ग्रान्ट के बारे में इस टेनेन्सी बिल में जिक्र आया है तो इसको डेफिनिशन से डिलीट करना उपयुक्त नहीं होगा। वह डेफिनिशन में रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री एच. के. व्यास से) आप इसको विद्ड्रा करते है या क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

विद्ड्रा करने की अनुमति दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास— अच्छा साहब मैं विद्ड्रा करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४४) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४४) स्वीकृत हुआ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें मेरा एक एमेन्डमेन्ट सब क्लॉज़ (४४) में था। वह मालूम नहीं, क्यों इस लिस्ट में include नहीं किया गया। लेकिन आप अगर इजाजत दें तो मूव कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—(४४) तो हो गया है। (४५), की बात कहें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—उनका अमेंडमेंट वास्तव में बड़ा सुन्दर है।

उपखण्ड (४५)

श्री उपाध्यक्ष—सब क्लॉज़ (४५), श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (४५) में मेरा एमेन्डमेन्ड यह है कि इसकी पहली तथा दूसरी लाइन में जो शब्द हैं "recorded as such in the record-of-rights and shall include a person..." ये शब्द हटा दिये जांय। जो जमींदार की परिभाषा की गई है उसे देखेंगे तो यह परिभाषा जो है, एक्जिस्टिंग परिभाषा है, वह इससे शुरू होती है। मैंने पहले एक बार इसी प्रकार की परिभाषा का जिक्र करते हुए यह अर्ज किया था कि निर्णय में तो यह आता है कि आप किसी चीज़ की परिभाषा पहले मुकर्रर कर लें और जो उस परिभाषा में ठीक है उसे उसके अन्दर कर दें कि यह फलां फलां है। लेकिन अपना बिल ऐसा है कि जिसमें परिभाषा मुकर्रर करके परिभाषा के मुताल्लिक एन्ट्री करने के बजाय एन्ट्री के मुताल्लिक परिभाषा की गई है। जमींदार कौन होगा ? वह होगा जिसका नाम रेकॉर्ड ऑफ राइटस में जमींदार दर्ज है। यह परिभाषा नहीं हुई, माननीय अध्यक्ष। यह तो एक पार्ट हो गया परिभाषा का। इसकी असली परिभाषा यह है कि जमींदार वह है जिस पर "on whom a village or part of a village is settled by the State Government or a Jagirdar on the Zamindari system and the heirs and successors."...etc. etc.

जिसे एक विशेष प्रकार का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है; एक पूरे गांव का या गांव के कुछ हिस्से या कई गांवों का, उसे आप जमींदार कह सकते हैं; जिसे रेन्ट वसूल करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। इसके विपरीत मालूम होता है कि एन्ट्री की वजह से जमींदार हो जाय यह विचित्र सी बात है और एन्ट्रीज़ की परिभाषा पर मुनस्सर करना यह ठीक नहीं होगा। इस वजह से मेरा जो एमेन्डमेंट है कि परिभाषा एब्सोल्यूट हो और एन्ट्री उसी सबसर्वियेन्ट रहने के

Page No.74

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बजाय, इसके कि एन्ट्रीज़ प्राइमरी हों और परिभाषा वह हो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे इस एमेन्डमेन्ट को मन्ज़ूर कर लिया जायगा और करना चाहिये; इस लिहाज से मैंने इसे प्रस्तुत किया है। मैं इसे सदन की राय के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—खण्ड ४ के अन्त में मैंने एक्सप्लेनेशन एड करने का निवेदन किया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—खण्ड (४५) में मेरा अमेंडमेंट है। यह बहुत ही फोर्मल अमेंडमेन्ट है। 'जमीदार' की डेफिनिशन में "heirs and successors of every such person" दिया गया है। जो राइट, टाइटल और इन्ट्रेस्ट जमीदार को एक्रयू (accrew) होते हैं वे ही एअर्स और सक्केसर्स को भी एक्रयू होते हैं। तो फिर एअर्स एन्ड सक्सेसर्स रखने की जरूरत नहीं है। अतः जमीदार की परिभाषा यह होगी :

"Zamindar shall mean a person recorded as such in the record of rights and shall include a person on whom a village or part of a village is settled by the State Government or a Jagirdar on the Zamindari system." इसलिये एयर्स और सक्सेसर्स को रिमूव कर देना चाहिये और जो दूसरी तरमीम आपके सामने आई है "shall mean a person recorded in the record of rights" वह तो अपने आप ही हो जाती है, यदि आप "shall include a person on whom a village or part of a village is settled by the State Govt."

जो सेटलमेन्ट है या जिसमें सेटल किया गया है चाहे वह रेकर्डेड है या नहीं; उसकी लिमिट क्यों करते हैं। इसलिये जो फेक्ट है वह फेक्ट प्रूव हो जाता है तो भी he will be taken as Zamindar. जमींदार रेकर्डेड एज़ सच नहीं है, तो नहीं होगा। तो मैं व्यासजी की तरमीम से इत्तफाक करता हुआ मेरी तरमीम रखता हूँ।

अमेन्डेड डेफिनिशन इस तरह हो जायगी :

"Zamindar' shall include a person on whom a village or part of a village is settled by the State Government."

श्री श्रीदास गोयल—"शैल मीन" नहीं है क्या ?

कई माननीय सदस्य—"शैल मीन" होना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यदि कोई राइट्स हैं जो इसमें नहीं आ सके हैं तो वे साफ हो जायं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, यदि श्री एच० के० व्यास के अमेन्डमेंट को स्वीकार कर लूं और श्री बृजसुन्दर शर्मा के अमेन्डमेंट को भी स्वीकार करता हूँ।

(हियर हियर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री बृजसुन्दरजी ने इत्तफाक कर लिया इसलिये आपने भी स्वीकार कर लिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस तरह से आपको अन्दाज होना चाहिये कि हम किस तरह से खुले दिमाग से बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री बृजसुन्दर शर्मा और श्री एच० के० व्यास ने प्रस्तुत किये हैं और मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार कर लिये हैं क्या वे सदन को स्वीकार हैं

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट्स स्वीकृत हुये

श्री वेदपाल त्यागी—इसमें एक दिक्कत आयगी। बृजसुन्दरजी ने जैसा कहा है कि "शैल मीन'...

श्री कपिलदेव अग्रवाल—"शैल मीन" कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (४५) ऑफ क्लॉज़ (४), एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (४५) टू क्लॉज़ ४, एज़ अमेन्डेड, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now explanation.

श्री श्रीदास गोयल—यह सब क्लॉज़ (४५) का यह एक्सप्लेनेशन है इसलिये इसकी तरमीम ले ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष—एक्सप्लेनेशन सब क्लॉज़ (४५) के बारे में है या क्लॉज़ ४ के बारे में ?

श्री जवानसिंह—क्लॉज़ ४ के अन्त में मेरा यह संशोधन है कि जो मौजूदा एक्सप्लेनेशन है उसकी संख्या (१) कर दी जाय और उसके बाद एक्सप्लेनेशन संख्या (२) और बढ़ाया जाय जिसके शब्द इस प्रकार हैं।

"Explanation 2-Any refernce in this Aet to the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (Act No. VI of 1952) shall include the Rajasthan Land Raforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Act, 1954 (Act No. XII of 1954) ".

मेरा यह संशोधन इसलिए जरूरी है कि इस बिल में क्लॉज़ ४ की सब क्लॉज़ (२३)—

एक माननीय सदस्य—कौनसी लिस्ट में यह संशोधन है ?

श्री जवानसिंह—लिस्ट नं० ५ सीरियल नं० ७७। मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका खास मकसद यह है कि इस बिल में हमने रेफर किया है खण्ड (४) के उपखण्ड (२३) में और उसमें राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट, १६५२ को इस्तेमाल किया है। यहां पर इस कानून का जहां रेफरेन्स आया है, उसके बाद जागीर रिजम्प्शन अमेन्डमेन्ट एक्ट पास किया है और क्योंकि इस अमेन्डमेन्ट एक्ट का इसमें समावेश नहीं किया गया है इसलिये सारे एक्ट में जहां जहां पर सन् ५२ के एक्ट से सम्बन्ध है उस जगह अमेन्डमेन्ट एक्ट का भी समावेश हो जायगा। इसलिये सारे एक्ट में बार बार न लाने के बजाय एक एक्सप्लेनेशन बढ़ा कर इसको करने का मेरा निवेदन है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह एक्सप्लेनेशन सब क्लॉज़ (४५) पर है क्या ?

श्री जवानसिंह—यह क्लॉज़ ४ का एक्सप्लेनेशन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह एक्सप्लेनेशन रिडन्डेंट या अनावश्यक है यदि। अनावश्यक होते हुए भी रखने का सुझाव है तो मैं और कड़े शब्द इस्तेमाल करूंगा और वह यह है कि यह एब्सर्ड है। वैसे कहीं भी कानून का रेफरेन्स आता है तो यह निश्चित है कि जब जब आवश्यक है तब तब it shall include the amending Act। जो ओरिजिनल एक्ट है उसके सेक्शन तब्दील किये गये हैं तो अमेन्डिंग एक्ट भी इन्क्ल्यूड हो जाता है।

श्री श्रीदाम गोयल—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह एक्सप्लेनेशन केवल उपखण्ड (४५) से सम्बन्धित है या तमाम खण्ड (४) से। यदि उपखण्ड (४५) से सम्बन्धित नहीं है तो उपखण्ड (४६) में एड करवाना चाहता हूँ। उसके बाद यह आना चाहिये।

श्री एच. के. व्यास—I do concede him the prior right. He can go ahead.

श्री श्रीदाम गोयल—Now I beg to move the amendment for the definition of 'Nalbat'.

" (46) 'Nalbat' shall mean a payment in cash or in kind made to the owner of a well by some person for useing that well for irrigation."

नाल बट के सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि एक एडीश्नल सब क्लॉज़ एड किया जाय और 'नाल बट' लिख कर उसके आगे यह डेफिनिशन हो : "'Nalbat' shall mean a payment in cash or in kind made to the owner of a well by a tenant or user of that well for irrigation."

चूंकि नालबट लेने के लिये इस बिल में आगे प्रोविज़न रखा है कि नालबट वसूल करने का अधिकार होगा। एक आदमी ने १० हजार रुपये या ऐसी ही रकम लगा कर एक कुआ बनवाया और उसके पास उस कूए से सींचने योग्य १० बीघा जमीन है और उसके पड़ौसी के पास १० बीघा जमीन है पर उसकी सिंचाई के लिये उसके पड़ौसी के पास कोई कूआ नहीं है तो ऐसी सूरत में वह उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि मैं बहैसियत नालबट के आधा हिस्सा दूंगा। तो इसे बतौर हिस्सा न समझ कर बतौर इरीगेशन चार्ज समझा जाय।

ऐसी सूरत में नालबट देने के लिये स्थान रखा है, तो यहां डेफिनिशन भी आनी चाहिये। यह सिंपल डेफिनिशन है इसको एड किया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि यह तरीका जयपुर में ही है। इस डेफिनिशन को स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री कपिलदेव—माननीय चेअरमेन, यह स्वीकार किये जाने की सूरत में लैंड होल्डर और एस्टेट होल्डर की डेफिनिशन में नालबट होल्डर भी लेना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एस्टेट की डेफिनिशन दी गई है, उसमें है :

"and shall include land or interest in land"

'Interest in land' है इसलिये इसे एड करने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री जवानसिंहजी का अमेंडमेंट है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(४६) के बाद आयगा, (४६) को एग्री कर लें इसके बाद।

Page No.78

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो सब क्लॉज़ (४६) एड करने का संशोधन श्री श्रीदासजी गोयल ने प्रस्तुत किया है और मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार किया हैं उसको एड करने की स्वीकृति दी जाय।

(संशोधन स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (४६) ए क्लॉज़ ४ में एड किया गया।

श्री मोहनलाल सुखड़िया—पाश्चर लैंड की डेफिनेशन छोड़ दी थी उसे इस प्रकार कर दिया जाय तो ठीक होगा :

"Pasture land' shall mean land meant for the grazing of the cattle of the village or villages used or recorded in settlement redords as such at the commencement of this Act or thereafter reserved as such in accordance with rules framed by the State Government from time to time," इससे यह दोनों बातें कवर हो जाती है.........."

श्री हरिकृष्णव्यास—यह इतनी जल्दी में नही लिया जाना चाहिये। पहले इसकी कॉपी करके इसे सर्कुलेट कराया जाय।

श्री मोहनलाल सुखड़िया—I have got no objection.

श्री उपाध्यक्ष—यह अमेंडमेंट नोट कर लिया जाय और सर्कुलेट किया जाय।

(विराम)

जो एक्स्प्लेनेशन श्री जवानसिंह एड कराना चाहते हैं उस पर ..

श्री हरिकृष्णव्यास—इस पर मैं बोल रहा था माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक आवश्यक हो वहां तक तो जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट के मातहत और इन्टरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्युट्स के मुताबिक अमेंडमेंट इज इन्क्लुडेड इन दी अरिजिनल एक्ट। जवानसिंहजी यह कहते हैं कि "Any reference to the Jagir Resumption Act, 1952 shall include the Rajasthan Land Reforms and Rnsumption of Jagirs Amendment Act, 1654"

मान लीजिये कि रेफेरेन्स का ताल्लुक ऐसे क्लॉज से हो जिसको अमेंड ही नहीं किया हो। अमेंडिंग एक्ट में तो "shall include" कैसे लगेगा. It is an absurdity. General Clauses Act और interpretation of Statutes के मुताबिक Amendment Act is included in

Page No.79

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

the original Act. । यह तो जनरल क्लॉजेज़ एक्ट के मुताबिक और जिस सेक्शन को अमेंड कर दिया है उसी के माफिक वहां लगेगा ।

यह समझ कर वे यदि इसे वापिस ले लें तो ठीक होगा, मेरा ख्याल यह है ।

श्री वृजसुन्दर शर्मा—एक्स्प्लेनेशन, उपाध्यक्ष महोदय, जो एड करने के लिये श्री जवान सिंह जी ने कहा है वे खुद इस बात पर पूर्णतया विचार कर लें तो समझेंगे कि जब पेरेन्ट एक्ट के बारे में, जहां-जहां जिक्र आता है, तो सब्सीक्वेंट अमेंडमेन्ट हुआ है, उसके साथ शरीक हो जाता है । ५० दफा अमेंड हुआ तो अलग-अलग हरेक के साथ नहीं जुड़ेगा । इसलिये मैं समझता हूँ कि जवानसिंहजी बहस नहीं करेंगे ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है । जैसा कि सिरोंज से आये हुए मेरे मित्र ने कहा कि जो अमेंडमेंट आते-जाते हैं वे पेरेन्ट एक्ट में आप ही जुड़ते जाते हैं और जहां रेफरेंस होता है वहां पेरेन्ट एक्ट अमेंडेड रूप में पढ़ा जाता है । मै इसका विरोध करता हूँ ।

Incorporation of parent Act, by reference होता है वह उस वक्त जब कि रेफरेंस दिया जाता है एक्ट में, वह इसी रूप में पढ़ा जाता है automatically; उसके सब्सीक्वेन्ट अमेंडमेंट शामिल नहीं हो जाते ।

इसकी लीगल पोजिशन को माननीय मन्त्री महोदय दिखा दें, फिर इस पर विचार किया जाय तो ठीक होगा ।

मैं जानता हूँ कि इस प्रकार के कई रूलिंग्स हैं कि अगर कोई एक्ट सब्सीक्वेन्टली अमेंड होता है तो वह अमेंडमेंट उसको अमेंड नहीं करता ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्वमन्त्री)—मैं समझता हूँ कि इस एग्ज़ामिन करने के बाद में लिया जाय ।

खण्ड ५

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ५ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ स्वीकार किया जाय ।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड ६

क्लॉज़ ६ में एक अमेंडमेंट है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरा संशोधन इस प्रकार है "In sub clause (1) of clause 6 the words and brackets '(v of 1908)' shall be inserted after the figures '1908' and the words 'by rules made by the State Gouernment' occurring after the words 'manner prescribed' shall be omitted"

माननीय उपाध्यक्ष, यह जहां सिविल प्रोसिजर कोड १६०८ है उसके अन्दर (संख्या ५ ऑफ १६०८) होना चाहिये। जहां जहां एक्ट का रेफरेन्स होता है वहां नम्बर होने चाहिये। इसके बाद में पांचवी लाइन में 'duly authorised in the manner prescribed by rules made by the State Goverument" जो होते है रूल्स की तहत में होते हैं। ये शब्द रिडन्डेन्ट हैं। ये इस तरह से होने चाहिये "by rules made by the State Government" के बजाय "in the manner prescribed by the Government" होना चाहिये। 'मेनर प्रेस्काइब्ड' के बजाय "by rules made by the State Governmeut" होने चाहिये। "by rules made by Govt." तो सब जगह होता ही है, इसलिये मेरा यही एमेन्डमेंट है।

(श्री राजस्व मन्त्री की मौन स्वीकृति पर)

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन क्लॉज़ ६ पर प्रस्तुत किया गया और मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार किया है, क्या यह सदन को स्वीकार है।

(संशोधन स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ नम्बर ६ संशोधित रूप में बिल में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि समय हो चुका है इसलिए आज की बैठक समाप्त की जाती है। कल ८ बजे फिर सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

(सभा की बैठक ११. ५५ प्रातः पर कल दिनांक १३-८-५४ तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१२ अगस्त, १६५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट 1

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३८९ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

FINANCE DEPARTMENT.

No. F. 7 (2)-R/51 Dated, Jaipur, the 15th of Jan., 1951.

Subject:—Temporary increase to small scale pensioners.

Temporary increases of dearness allowances were admissible to pensioners of the former States of Jaipur, Kotah, Bundi, Jhalawar, Shahpura, Kushalgarh and Jodhpur. Pensioners of other integrating States were not in receipt of any such relief. Government have had under consideration the question of granting a uniform rate of relief to all pensioners and are now pleased to direct that with effect from January 1, 1951, in supersession of all previous orders on the subject, pensioners should be given temporary relief on the scale set down below. The rate not sanctioned will in lieu of all existing reliefs, by whatever name they might have been designated, e. g. dearness allowance, temporary increase of pensions, compensatory allowance and so on.

Rate of pension.	Rate of Temporary increase.
1. Pensions not exceeding Rs. 20/- p. m.	Rs. 4/- p. m. provided that in case of pension not exceeding Rs 4/- p. m. the increase shall be equal only to the amount of the pension.
2. Pensions exceeding Rs. 20/- but not exceeding Rs. 60/- p. m.	Rs. 5/- p. m.
3. Pensions exceeding Rs. 60/- but not exceeding Rs. 100/- p. m.	Rs. 6/- p. m.

Note:- 1. Pensioners in receipt of a pension in excess of Rs. 100/- but not exceeding Rs. 106/- shall receive such temporary increase as will bring the total to Rs. 106/- per mensem.

2. Pensions for purposes of this order shall include the commuted portion, if any.

2. This order will not apply to political pensions, Khanpan allowance or other similar payments.

By Order of His Highness
the Rajpramukh.
V. NARAYANAN,
Additional Chief Secretary to the
Government of Rajasthan.

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

१३६८. (४५३/सी. एम.) श्री मनफूलसिंह, एम. एल., ए डिविज़न नम्बर ६६—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या लखुवाली पुलिस चौकी की इमारत आधी गिर चुकी है और आधी रही है वह भी पड़ने वाली है ?

(ख) क्या मुलजिमों को रखने तथा कर्मचारियों के बैठने की जगह इस चौकी में है ?

(ग) क्या सरकार लखुवाली चौकी की जीर्ण-शीर्ण इमारत को बनाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक उम्मीद की जावे ?

उत्तर

(क) पुलिस चौकी लखूवाली के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

(ख) इस चौकी में बैठने के लिये स्थान जीर्णोद्धार होने के बाद पर्याप्त हो जावेगा ।

(ग) डि. आई. जी. पी. बीकानेर को इसका आवश्यक जीर्णोद्धार करने के लिये आज्ञा दी जा चुकी है और उनसे इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिये पूछा गया है।

Page No.84

प्रश्न

१३६६ (४५४/सी. एम.) श्री मनफूलसिंह, एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर ६६—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या रावतसर (त० नादेर) के पुलिस थाने की सरकारी इमारत न होने के कारण पुलिस थाने का दफ्तर कस्बे के बीच एक धर्मशाला में है ?

(ख) क्या इस धर्मशाला पर पुलिस ने जनता की मर्जी के खिलाफ कब्जा कर रखा है ?

(ग) क्या रावतसर कस्बे से बाहर भी एक धर्मशाला है जो खाली पड़ी है और जो पुलिस थाने के दफ्तर के लिये पर्याप्त इमारत है ?

(घ) क्या रावतसर पुलिस थाने के दफ्तर जब तक सरकार इमारत न बनावे तब तक कस्बे के बाहर वाली धर्मशाला में भेजा जा सकेगा ?

(ङ) क्या सरकार शीघ्र जांच कर कस्बे के बीच की धर्मशाला को खाली करने का आदेश देगी ? अगर देगी, तो कब तक ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जनता की ओर से इसे हटाने के प्रार्थना-पत्र आये हैं।

३. जी हां। परन्तु थाना उसमें नहीं रक्खा जा सकता।

४. यह धर्मशाला ग्राम से बाहर होने के कारण पुलिस स्टेशन के लिये उपयुक्त नहीं है।

५. जांच कराई जा चुकी है। अन्तिम आदेश सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न

1402. (456/C.M.) Shri Bishambhar Nath Joshi, M.L.A., (Div. No. 21)- Will the Minister Incharge of the Home Department please state as to why no prosecution has so far been launched against the head constable of the Jaipur City Police, who is found to have issued false and unauthorised Railway warrants ?

(b) Will the Minister please inform the House of the total number of such Railway warrants issued by the official concerned.

(c) Will the Minister please further state as to who is responsible for the undue delay in completing the investigation and launching their prosecution ?

उत्तर

१. यह मामला अभी ज़ेर तफ़्तीश है।

२. लगभग ४६७ वारन्ट।

३. जाली वारन्टों की संख्या बहुत है इसलिये तफ़्तीश में समय लगेगा।

प्रश्न १४०६

(457/C. M.) Shri Bishambhar Nath Joshi, M.L.A. (Div. No. 21.) Will the Minister Incharge Home Department please state :—

(a) Had the Commissioner for Devasthan sent any report to the District Magistrate, Jaipur aganst the former Cashier of the Devasthan Department regarding the shortage of amount ?

(b) If so, when was that report received by the District Magistnete and what action had been taken by him thereon ?

(c) On what date had the orders of the District Magistrate on the report been conveyed to the Police ?

(d) Is it a fact that for over a week of the date of the receipt of the District Magistrate's orders no case had been registered by the Police against the Cashier ?

(e) What is the total amount in respect of which an embezzlement, misappropriation or criminal breach of trust is believed to have been committed in the Devasthan Department or which could not be accounted for, when the accounts of this dapartment were checked ?

(f) For how much of this amount the absconding cashier is belived to be responsible ?

(g) Who are the Police officers responsible for this culpable for negligence of duty aud what action then have so far been taken ?

(h) What explanation has the police to offer for its failure to take out proceedings under Section 88 of the Criminal Procedure Code against the absconding Cashier's property which is said to be considerable ?

(i) What action proposed to be taken against the S.H.O. Incharge of the Police station in which the cash is being investigated ?

उत्तर

१. जी हां।

२. ता० २५-५-५४ को एक छोटी सी रिपोर्ट जिलाधीश को मिली तथा उसने कमिश्नर देवस्थान को २५-५-५४ को मामले के पूरे हालात भेजने को लिखा।

३. ता० २२-६-५४ को।

४. जी नहीं। केस २५-६-५४ को रजिस्टर कर लिया गया।

५. रु० ५४,१६८।६।३।

६. सारे गबन का जिम्मा उसी पर है।

७. कोई भी नहीं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।

८. प्रश्न नहीं उठता।

९. प्रश्न नहीं उठता।